रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220800 CG-DL-E-31072020-220800

## असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369] No. 369] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SRAVANA 7, 1942

## गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

सा. का. ति. 473(अ).— केन्द्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1996 को, जहां तक उसका संबंध रजिस्ट्रार (विधि), संयुक्त सचिव, उप महानिरीक्षक, निदेशक, संयुक्त रजिस्ट्रार, निजी सचिव, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहायक रजिस्ट्रार, अवर सचिव, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, विशेष सचिव/निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक, सूचना और लोक संर्पक अधिकारी, कार्यक्रमक, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक निदेशक (हिन्दी), ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी), अनुसंधान सहायक, कार्यक्रमण सहायक और कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) के पदों से है तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1996 को, जहां तक उसका संबंध सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक समूह 'घ', निम्न श्रेणी लिपिक, सवार हरकारा, कांस्टेबल, पुस्तकालय सहायक, दफ्तरी, चपरासी, फराश और सफाई कर्मचारी के पदों से है तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (स्टाफ कार चालक, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 और राष्ट्रीय मानव

3380 GI/2020 (1)

अधिकार आयोग (अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की सेवा शर्तें) नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।
- 2. परिभाषा.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो "आयोग" से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 3 के अधीन गठित 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' अभिप्रेत है।
- 3. आयोग के अधिकारी और कर्मचारीवृंद.- आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की प्रकृति और श्रेणियां तथा भर्ती की पद्धति और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
- 4. सेवा की शर्तें.- वेतन, भत्तों, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे तथा सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तें वे होगें जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद पर, इन पदों के साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में समान स्तर के अनुसार, इस संबंध में लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की शर्त के अधीन, विनियमित होते हैं।
- 5. चिकित्सा सुविधाएं.- आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की चिकित्सा सुविधाएँ वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के अधीन हैं।
- 6. वेतन मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर.- संलग्न पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 7. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 8. आरंभिक गठन.-(1) ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व नियमित आधार पर मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण), प्रस्तुतीकरण अधिकारी, उप रजिस्ट्रार, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), उप सचिव, तंत्र विश्लेषक, सहायक सूचना अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रलेखीकरण अधिकारी, ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक, उप प्रलेखीकरण अधिकारी, लेखाकार और उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधो के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।
  - (2) इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व अपनी-अपनी श्रेणी में उपरोक्त निर्दिष्ट पदधारी की नियमित निरंतर सेवा पर प्रोन्नति, पृष्टि और सेवा में पेंशन के लिए परीविक्षा अविध, ज्येष्ठता, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना किया जाएगा।
- 9. नियुक्ति प्राधिकारी.- (1) उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 23 तक उपरोक्त उल्लिखित सभी पदों पर नियुक्तियां, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाएगी।
  - (2) उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की क्रम संख्या 24 से क्रम संख्या 33 तक उपरोक्त उल्लिखित सभी पदों पर नियुक्तियां, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाएगी।

- (3) उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की क्रम संख्या 34 से क्रम संख्या 44 तक उपरोक्त उल्लिखित सभी पदों पर नियुक्तियां, निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाएगी।
- 10. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है: या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; [उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा]:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 11. शिथिल करने की शक्तियाँ.- इन नियमों के किसी उपाबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल करने की शक्तियां केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में निहित होंगी।
- 12. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध मे समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	पद का	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन	सीधे भर्ती
		वर्गीकरण।		अथवा	किए जाने
				अचयन	वाले
				पद।	व्यक्तियों के
					लिए आयु-
					सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रजिस्ट्रार	1* (2020)	लागू नहीं	स्तर-15	लागू नहीं	लागू नहीं
(विधि)।	* कार्यभार के आधार	होता।	(182200-224100 रु.)	होता।	होता।
	पर परिवर्तन किया जा				
	सकता है ।				

सीधे भर्ती	सीधे भर्ती किये	परिवी	भर्ती की पद्धति,	प्रोन्नति या	यदि	भर्ती करने में
किये जाने	जाने वाले	क्षा की	भर्ती सीधे होगी	प्रतिनियुक्ति/	विभागीय	किन
वाले	व्यक्तियों के लिए	अवधि,	या प्रोन्नति द्वारा	_	प्रोन्नति	परिस्थितियों
व्यक्तियों के	विहित आयु और	यदि	या प्रतिनियुक्ति/	•	समिति	में संघ लोक
लिए	शैक्षिक अहर्ताएं	कोई हो।	आमेलन द्वारा तथा	भर्ती की दशा में	मौजूद है तो	सेवा आयोग
अपेक्षित	प्रोन्नत व्यक्तियों		विभिन्न पद्धतियों	वे श्रेणियां	उसकी	से परामर्श
शैक्षणिक	की दशा में लागू		द्वारा भरी जाने	जिनसे प्रोन्नति	संरचना।	किया
और अन्य	होंगी या नहीं।		वाली रिक्तियों की	या प्रतिनियुक्ति/		जाएगा।

अर्हताएं। प्रतिशतता। आमेलन किया जाएगा।	
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (	(13)
लागू नहीं होता। लागू प्रतिनियुक्ति, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा। जिस्ते आयोग - अध्यक्षार आयोग - सदस्या स्या अयोग - सदस्या सयोग - सदस्या आयोग - सदस्या स्या स्या स्या स्या स्या स्या स्या	नहीं

(ii) सदस्य क लिम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में अनुभंधान का अनुभव: (क) संवैधानिक विधि और उसके सिद्धांत। (ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा: - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में अनुसंधान का अनुभव: (क) संवैधानिक विधि और उसके सिद्धांत। (ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा:- ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
एक क्षेत्र में अनुसंधान का अनुभव: (क) संवैधानिक विधि और उसके सिद्धांत। (ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा: - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
अनुसंधान का अनुभवः (क) संवैधानिक विधि और उसके सिद्धांत। (ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा:- ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
अनुभवः (क) संवैधानिक विधि और उसके सिद्धांत। (ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा:- ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
(क) संवैधानिक विधि और उसके सिद्धांत। (ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा : - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
विधि और उसके सिद्धांत। (ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा : - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
सिद्धांत। (ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा : - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
(ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा : - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
अधिकार विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा : - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
विधिशास्त्र। पुनर्नियोजन द्वारा : - ऐसे व्यक्ति जो नेंद्रीय सरकार या उच्चतम
पुनर्नियोजन द्वारा : - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
द्वारा : - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
द्वारा : - ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम
केंद्रीय सरकार या उच्चतम
केंद्रीय सरकार या उच्चतम
या उच्चतम
न्यायालय या
उच्च न्यायलय के
अधीन सदृश पद
धारण किये हुए
हैं और जिनके
पास उच्चतर
न्यायपालिका में
रजिस्ट्रार के रूप
में अनुभव हो या
विधि का
निर्वचन से
अन्तर्ग्रस्त या
कानून को लागू
करने के संबंध में
कोई अन्य पद
धारण किया
हुआ हो।
टिप्पण 1:
प्रतिनियुक्ति की
अवधि (जिसके
अन्तर्गत
अन्तगत अल्पकालिक
संविदा भी है),
जिसके अन्तर्गत
। जिस्तक जन्सक्त

हस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्लकालिक संविदा पी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्लकालिक संविदा भी है), द्वारा नियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविद्य भी है), द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अतिम तारीख को "अट्टाक्त वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पँसठ वर्ष की आयु, इनमें से जी भी पूर्वतर हो, तक		
ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारिल किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रिविनियुक्ति की अविध है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रिविनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु साम अवदेवन पाम करने की अंतिम तारीख को "अट्टायन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		इस नियुक्ति से
या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधे है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष में अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम आयु सीमा आवंदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टाबन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अद्यादन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पँसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पेंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्वर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		विभाग में इस
पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्दर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जी भी पूर्वतर		नियुक्ति से ठीक
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविद्या भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवंदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टाबन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसट वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्तियोजन की दथा में तीन वर्ष या पैंसट वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अल्पगतिक अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी। टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दथा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया गाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अद्भावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया गाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अद्भावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		पर प्रतिनियुक्ति
(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		संविदा भी है),
पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पँसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टाबन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		पॉच वर्ष से
होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टाबन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		अधिक नहीं
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टाबन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		81.111
प्रतिनेयुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
प्रतिनेयुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		1 Communication 2:
(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी। टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		(जिसके अन्तर्गत
संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी। टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		द्वारा नियुक्ति क
आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी। टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		लिए अधिकतम
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी। टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी। टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी। टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		आवेदन प्राप्त
तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
"अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी। टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
अधिक नहीं" होगी। टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
होगी।  टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		होगी।
पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		टिप्पण 3:
देशा में तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
या पैंसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		
की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर		या पैंसठ वर्ष
से जो भी पूर्वतर		
		से जो भी पूर्वतर
60 40		
		(4) (4)

		की अवधि के	
		लिए विनियोजन	
		किया जायेगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. संयुक्त सचिव।	1 * (2020 )  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-14 (144200-218200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(0)	(0)	(10)	(11)	(12)	(12)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।	सूचीबद्ध अखिल भारतीय अथवा केन्द्रीय सेवा के ऐसे अधिकारी या केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.) का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, की प्रतिनियुक्ति द्वारा।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
				टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतयापाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
				टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।		
				भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख को		

उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात	
उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर रखा जा सकता है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण)।	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-14 (144200-218200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

नहीं नहीं या प्रतिनियुक्ति ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति से पूर्व मानव अधिकार नहीं	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (प्रिक्षिण) के पद के (78800-209200 रु.) का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होनें के लिए अभ्यर्थी के चयन धारण किए हुए हैं और जिन्होनें के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या की है, अथवा ऐसे अधिकारी जो कानूनी स्वायत्त निकायों के अधीन नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, की प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।  िटप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पुनर्नियोजन या प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक	पुनर्नियोजनः ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अन्य कानूनी स्वायत्त निकायों में नियमित आधार पर सदृश पद किये हुए हैं।  सूचीबद्ध अखिल भारतीय अथवा केन्द्रीय सेवा के ऐसे अधिकारी या केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100- 215900 रु.) का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होनें उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, अथवा ऐसे अधिकारी जो कानूनी स्वायत्त निकायों के अधीन नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, की प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।  टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके	(1) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष; (2)सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य; (3)महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।  टिप्पण: - उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण) के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य	(13) लागू नहीं होता

	अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले	
	उसी या किसी अन्य संगठन या	
	विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले	
	धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद	
	पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
	(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक	
	संविदा भी है), साधारणतया	
	पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके	
	अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	
	द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	
	आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की	
	अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से	
	अधिक नहीं" होगी।	
	टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की	
	अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. प्रस्तुतीकर्ता अधिकारी।	5 * (2020 )  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-14 (144200-218200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो	(1) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

	जिसके अन्तर्गत इस नियुक्ति से	
	ठीक पहले उसी या किसी अन्य	आयाग-सदस्या
	संगठन या विभाग में इस	
	नियुक्ति से ठीक पहले धारित	टिप्पण : -
	किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	उपरोक्त समिति के
	प्रतिनियुक्ति की अवधि है	सदस्य, राष्ट्रीय मानव
	(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक	अधिकार आयोग में
	् संविदा भी है), साधारणतया	प्रस्तुतीकर्ता अधिकारी
	पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।	के पद के लिए अभ्यर्थी
	पाच वष स आवक नहा हागा।	के चयन के लिए
		यथास्थिति, छानबीन
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके	समिति या चयन
	अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा	समिति के सदस्य के रूप
	भी है) द्वारा नियुक्ति के	में कार्य करेंगे।
	लिए अधिकतम आयु-सीमा	
	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
	तारीख को "अट्ठावन वर्ष से	
	अधिक नहीं" होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप महानिरीक्षक।	1 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-13क (131100-216600 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता।	(10) प्रतिनियुक्ति।	(11) प्रितिनियुक्ति द्वाराः (i) भारतीय पुलिस सेवा या केंद्रीय पुलिस संगठन के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्हें केंद्रीय सरकार के अधीन उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।	(1.) सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष; (2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य; (3.)महानिदेशक (अन्वेषण), राष्ट्रीय मानव	(13) लागू नहीं होता।

	टिप्पण 1: उप महानिरीक्षक के रूप में सूचीबद्ध भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 14 वर्ष सेवा की है, उप महानिरीक्षक के रूप में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए पात्र होगा।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।	टिप्पण:- उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में उपमहानिरीक्षक के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।	
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक।	4 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-13 (123100-215900 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति द्वाराः (i) चयन श्रेणी में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200रु.) में भारतीय पुलिस सेवा	(1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

 1			
	बलों या संगठनों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है। पुनर्नियोजन द्वारा: भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो चयन श्रेणी के स्तर के अधिकारी या केंद्रीय पुलिस बलों / संगठनों	टिप्पण : - उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	
	के सेवानिवृत्त अधिकारी या राज्य पुलिस बलों के सेवानिवृत्त अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।  टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त	सिमिति या चयन सिमिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।	
	करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. निदेशक।	1 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-13 (123100-215900 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

लागू लागू प्रोन्नित जिसके न प्रोन्निति: विभागीय प्रोन्निति नहीं नहीं हो सकने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सिमिति (प्रोन्निति होता। होता। पर प्रतिनियुक्ति में ऐसे उपसचिव जिन्होंने वेतन संबंध में विचार करने हे द्वारा (जिसके अन्तर्गत 209200 रु.) में पांच वर्ष (1) अध्यक्ष राष्ट्रीय	ने लागू
अन्तगत अल्पकालिक संविदा भी हैं।  प्राप्त में तिकों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं।  प्राप्त मैं तिकों के अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं, प्रोष्तित के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।  पूरी कर ली हैं, प्रोष्तित के लिए या पुनर्नियोजन।  पूरी कर ली हैं, प्रोष्तित के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।  प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): कन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल काडर या	ह नहीं होता। र

स्तर-12 (78800-209200

रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास कार्मिक और सामान्य प्रशासनिक मामलों में पांच वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।

	भूतपूर्व सैनिकों के लिए
	प्रतिनियुक्ति अथवा
	पुनर्नियोजन:
	सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर
	भी विचार किया जाएगा जो
	एक वर्ष की अवधि के भीतर
	सेवानिवृत्त होने वाले हैं या
	रिजर्व में स्थानान्तरित किए
	जाने वाले हैं और जिनके पास
	अपेक्षित अनुभव और विहित
	अहर्ताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को
	उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति
	पर रखा जाएगा जिस तारीख
	को वह सशस्त्र बल से निर्मुक्त
	किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें
	पुनर्नियोजन के आधार पर रखा
	जा सकता है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. संयुक्त रजिस्ट्रार।	1 * (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-13 (123100-215900 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे उपरजिस्ट्रार जिन्होंने वेतन	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): (1.) अध्यक्ष या सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष; (2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;	लागू नहीं होता।

दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। (3.) रजिस्ट्रार(विधि) ,राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और
- (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री और न्यायालय मामलों में या निर्वचन से अंतरग्रस्त या कानून को लागू करने के संबंध में कोई अन्य पद धारण किया हुआ हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके

		अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है),	
		साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक	
		नहीं होगी।	
		टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति	
		(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा	
		भी है) के लिए अधिकतम आयु-	
		सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
		तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक	
		नहीं" होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. उप रजिस्ट्रार।	3* (2020)	लागू नहीं	स्तर-12	चयन	लागू
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	होता।	(78800-209200		नहीं होता
	किया जा सकता है।		रु.)		1

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति जिसके न हो सकने	प्रोन्नति :-	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं
होता।	होता।	होता।	पर प्रतिनियुक्ति	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में	समिति (प्रोन्नति के	होता।
			द्वारा (जिसके अन्तर्गत		संबंध में विचार करने	
			अल्पकालिक	ऐसे सहायक रजिस्ट्रार जिन्होंने वेतन	के लिए)	
			संविदा भी है)।	मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-	जिसमें निम्नलिखित	
				208700 रू.) में पाँच वर्ष की		
				नियमित सेवा की है।	होंगे:	
					(1.) महासचिव,	
					राष्ट्रीय मानव	
				टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक		
				या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	अधिकार आयोग-	
				प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों	अध्यक्ष;	
				के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि		

उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री और न्यायालय मामलों में या निर्वचन से अंतरग्रस्त या कानून को लागू करने के संबंध में कोई अन्य पद धारण किया हुआ हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के (2.) रजिस्ट्रार

(विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार

आयोग-सदस्य;

(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।

	लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति	
	(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा	
	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	
	को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं"	
	होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)।	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-12 (78800-209200रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

लागू नहीं नहीं नहीं होता। होता। हो सकने पर प्रितिनियुक्ति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे के संबंध में विचार	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी जिन्होनें वेतन करने के लिए)	नहीं	नहीं	नहीं	हो सकने पर	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे	समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार	नहीं

(जिसके अन्तर्गत मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 जिसमें निम्नलिखित अल्पकालिक रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। होंगे: -(1.) सदस्य, संविदा भी है)। राष्ट्रीय मानव टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के अधिकार आयोग -संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के अध्यक्ष: लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब (2.) महासचिव, जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता राष्ट्रीय मानव सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से. इनमें से जो भी कम हो, से कम न अधिकार आयोग-हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ सदस्य: व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। (3.) संयुक्त सचिव,राष्ट्रीय (जिसके प्रतिनियुक्ति अन्तर्गत मानव अधिकार अल्पकालिक संविदा भी है): आयोग-सदस्य। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों. पब्लिक सेक्टर उपक्रमों. विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:-(क)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव हैं:-आवश्यक (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की मास्टर डिग्री: (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र या

सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, मानव अधिकार या मनोविज्ञान या जनसंख्या अध्ययन या अपराध शास्त्र में मास्टर डिग्री।

(iii)किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से उपरोक्त किसी भी विषय में अनुसंधान करने का पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव।	01* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	लागू नहीं होता।	स्तर-12 (78800-209200रु.)	चयन	लागू नहीं होता।
	किया जा सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति :-  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार	लागू नहीं होता।
				टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	(1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, - अध्यक्ष; (2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;	
				प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संघठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	राष्ट्रीय मानव	

टिप्पण 1: विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. उप सचिव।	01* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-12 (78800-209200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति	प्रोन्नति :-		लागू नहीं
होता।	होता।	होता।			विभागीय प्रोन्नति	होता।
				वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	समिति (प्रोन्नति	
				   में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे अवर	के संबंध में विचार	
				,	करने के लिए)	
				सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा	जिसमें	

	की है।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	निम्नलिखित होंगे:- (1.) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, -अध्यक्ष; (2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;
		(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. सहायक	10* (2020)	लागू नहीं	स्तर-11	चयन	लागू नहीं
रजिस्ट्रार।	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	नहा होता।	(67700-208700		होता।
	किया जा सकता है ।		₹.)		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति:-  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने वेतन  मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400  रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त  विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद

- (2.) रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य:
- (3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-
- (1.) रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;
- (2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;
- (3.) संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।

[PART II—SEC. 3(i)] धारण किए हए हैं: या (ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद में नियुक्ति के पश्चात सात वर्ष सेवा की है: और (ख)जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है। टिप्पण 1 : विभागीय अधिकारी प्रतिनियक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। 2: प्रतिनियुक्ति टिप्पण अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है). साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3: प्रतिनियुक्ति टिप्पण द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. अवर सचिव।	3* (2020)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-11 (67700-208700रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

	ı	1	T		Т	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900- 142400 रु.) में मानव अधिकार आयोग में ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।
				टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति	(2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;	
				के लिए विचार किया जा रहा हो,  वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह	(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।	
				तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार	
				या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या	करने के लिए)	
				पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या	जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
				दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से	(1.) महासचिव,	
				कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	राष्ट्रीय मानव	

कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अधिकार आयोग-अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले अध्यक्ष; ही पूरी कर ली है। (2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य; प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत (3.) निदेशक. अल्पकालिक संविदा भी है): राष्ट्रीय मानव केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, अधिकार आयोग संघ राज्य क्षेत्रों. स्वायत्त या –सदस्य। कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों. विश्वविद्यालयों मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:-(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्टिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात सात वर्ष सेवा की है; और (ख)जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की	
अवधि (जिसके अन्तर्गत	
अल्पकालिक संविदा भी है),	
जिसके अन्तर्गत उसी या किसी	
अन्य संगठन या विभाग में इस	
नियुक्ति से ठीक पहले धारित	
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके	
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी	
है), साधारणतया चार वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा	
नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत	
अल्पकालिक संविदा भी है) के	
लिए अधिकतम आयु-सीमा	
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक	
नहीं" होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. ज्येष्ठ अनुसंधान	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर	लागू नहीं होता।	स्तर-11 (67700-208700रु.)	चयन	लागू नहीं होता।
अधिकारी।	परिवर्तन किया जा सकता है।				01/111

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति :-  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100- 177500 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-	लागू नहीं होता।

अध्यक्ष: टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों (2.) संयुक्त सचिव, के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या राष्ट्रीय मानव पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति अधिकार आयोग-के लिए विचार किया जा रहा हो, सदस्य; वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध (3.)संयुक्त में भी विचार किया जाएगा परन्तु निदेशक (आर), यह तब जबिक उनके द्वारा की गई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित –सदस्य। अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित

अहर्ताएं और अनुभव हों; आवश्यक अर्हताएं:

- (i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीतिज्ञ विज्ञान, इतिहास, सांख्यिकी, समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री। (ii) सामाजिक विज्ञान संबंधित
- (ii) सामाजिक विज्ञान संबंधित विषयों में 4 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव।

वांछित अहर्ताएं: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।

	(1)			(2)		(3)		(4)	(5	)	(6)
16. प्रध	धान निर्ज	nे ।	07	r* (2020)		लागू	Æ	तर-11	चय	न	लागू नहीं
सचिव।			_	कार्यभार के आधा	र पर परिवर्तन	नहीं होता।					होता।
			कि	या जा सकता है।			(67700	-208700 रु.)			
	ı		1								
(7)	(8)	(9)		(10)		11)		(12)			(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वा		प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति:-  राष्ट्रीय मानव आ  ऐसे निजी सचिव ने  मैट्रिक्स स्तर-7 (4  में सात वर्ष नियमि  टिप्पण: जहाँ ऐसे  संबंध में जिन्होंने व  पात्रता सेवा पूरी व  लिए विचार किया  उनसे ज्येष्ठ व्यक्तिय  विचार किया जाए  जबिक उनके द्वारा	धेकार आये जिन्होंने वेल 4900-14 मेत सेवा की अपनी अर्हव अपनी अर्हव अपनी उर्हव जा रहा है	तन 2400रु.) ते है। ते यों के ह या प्रोन्नति के पे, वहां में भी	विभागीय प्रोक् समिति (प्रोर्क्सा के संबंध में विचार करने वे लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1.) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आये द्वारा नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष;	ति के		गू नहीं
					पात्रता सेवा अपेधि			(2.) महासचि राष्ट्रीय मानव			
					सेवा से आधे से अ	धिक से या	दो वर्ष	अधिकार आये			
					से, इनमें से जो भी	कम हो, से	कम न	सदस्य;			
					हो और उन्होंने अप	पने ऐसे का	नेष्ठ				

व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त या कानूनी संगठनों पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (3.) संयुक्त सिवव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। विभागीय पृष्टि सिमिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-
- (1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;
- (2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –सदस्य:
- (3.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –सदस्य।

	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत	
	अल्पकालिक संविदा भी है) के	
	लिए अधिकतम आयु-सीमा	
	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
	तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक	
	नहीं" होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. ज्येष्ठ तंत्र	1* (2020)	लागू नहीं	स्तर-11	लागू	लागू नहीं
विश्लेषक।		होता।	(67700-208700रु.)	नहीं होता।	<sub>नहा</sub> होता।
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया			81(11)	
	जा सकता है।				

(7) (8) (9) (10) (11) (12)	(13)
लागू नहीं नहीं होता। (जिसके अन्तर्गत नहीं होता। होता। होता। विश्विवद्यालयों या मान्यताप्राप्त अध्यक्ष; प्रिवेद्यालयों या मान्यताप्राप्त अध्यक्ष; अन्तर्गत अल्पकालिक संविद्या भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्विवद्यालयों या मान्यताप्राप्त अध्यक्ष; अध्यक्ष; अन्तर्गत अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या अर्ध-सरकारी या स्वायत संगठनों संविद्या भी है)। के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;और (ख) जिनके पास निम्नलिखित आईताएँ तथा अनुभव हों; अवश्यक रिजस्ट्रार, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;	लागू नहीं होता। इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ.

से कम तीन वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर में एक्च्यल प्रोग्रामिंग का हो। वांछनीय -: (i) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या सिस्टम डिजाइन या विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण।	
(ii)इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर साईंस में मास्टर डिग्री।  टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतयाचार वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. सूचना और जनसंपर्क अधिकारी।	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-11 (67700-208700रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8) (9)	9) (10)	(11)	(12)	(13)
(7) लागू नहीं होता।	(8) (9) लागू नहीं होता। होता।	गू प्रतिनियुक्ति (जिसके ों	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख)जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से जनसंपर्क या पत्रकारिता या मास कम्नीकेशन में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा तथा जनसंपर्क या प्रचार,प्रिटिंग या प्रकाशन में पर्यवेक्षण हैसियत का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।  टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के अवधि है, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अवधि है, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है),साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(12) (1.) सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य; (3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। टिप्पण: - उपर्युक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।	(13) लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. तंत्र विश्लेषक	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू प्रोद् नहीं र्व्या होता। के ि	न्नित क्तियों लिए वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति	प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे कार्यक्रमक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  (1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;  (2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;  (3.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।  विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:  (1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;  (2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता

कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने (3.) अवरसचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -अपनी अर्हक या पात्रता सेवा सदस्य। पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों. विश्वविधायलयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद में नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक आहर्ताएँ और अनुभव हों: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या एमएससी (कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी); या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग में बैचलर या प्रौद्योगिकी में बैचलर।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य का पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत	
	अल्पकालिक संविदा भी है)	
	के लिए अधिकतम आयु-	
	सीमा आवेदन प्राप्त करने की	
	अंतिम तारीख को "छप्पन	
	वर्ष से अधिक नहीं" होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. सहायक सूचना अधिकारी	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पत्रकारिता में डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारण किए हुए हैं और जिनके पास जनसंपर्क या प्रचार, मुद्रण और प्रकाशन में पर्यवेक्षी हैसियत में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है।	(1.) सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष; (2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य; (3.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।  टिप्पण: - उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सहायक सूचना अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के	लागू नहीं होता

	• • • • • • • • • •	सदस्य के	रूप में	
	टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके		रूप म	
	अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	कार्य करेंगे।		
	जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य			
	संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक			
	पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद			
	पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके			
	अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी			
	है),साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं			
	होगी।			
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए			
	अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत			
	अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त			
	करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से			
	अधिक नहीं होगी।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 21. अनुसंधान अधिकारी	(2) 2* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	(3) लागू नहीं होता	(4) स्तर-10 (56100- 177500 रु.)	(5)	(6) आयु पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं हो। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगीन कि वह अंतिम तारीख जोअसम, मेघालय, अरुणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा पांगी उप- खण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है।

जावश्यक- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में सास्टर डिग्री। वार्षे विवार करने के लिए वार्षे वारे वार्षे वार्षे वार्षे वार्षे वारे वार्षे वारे	किसी नर्ह मान्यताप्राप्त होत विश्वविद्यालय	ों किए जाने	(i) 50	पोन्नति·	2 2	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत निमलिखित	विज्ञान में मास्टर डिग्री। वांछनीय:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; (ii) किसी भी सामाजिक विज्ञान में तीन वर्ष अनुसंधान	व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	प्रोन्निति के में समिति (प्रोन्निति के में निम्निति के समिति के समिति के समिति अध्यक्षः (2.) संयुक्त सदस्यः संयुक्त अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार सदस्यः गियि समिति स्विध्ये समिति	नहीं

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविधायलयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी;

(क)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; और

(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आहर्ताएँ और अनुभव हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1.) संयुक्त सचिव. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -अध्यक्ष; (2.) संयुक्त निदेशक (आर), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य; (3.) ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -

सदस्य।

	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत	
	अल्पकालिक संविदा भी है) के	
	लिए अधिकतम आयु-सीमा	
	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
	तारीख को "छप्पन वर्ष से	
	अधिक नहीं" होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रलेखीकरण अधिकारी	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर पुस्तकालय सेवा में सदृश पद किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स-8 (47600-151100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हत्ताएं और अनुभव हैं; आवश्यक: (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री;	(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष; (2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य; (3.) संयुक्त निदेशक (आर), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।  टिप्पण: - उपरोक्त समिति के सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मं पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रलेखीकरण अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी	लागू नहीं होता।

(ii)किसी पुस्तकालय, जिसके अंतर्गत प्रलेखीकरण और ग्रंथसूचिकरण कार्य भी है, में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।	के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23. सहायक निदेशक (हिन्दी)	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

	(13)
२   २   १९   १९   १९   १९   १९   १९	लागू नहीं होता।

सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविधायलयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी;

(क)(i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हत्ताएं और अनुभव हैं; आवश्यक:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय

र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष; ा (2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;

(उ.) निदशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य। विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -अध्यक्ष;

(2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;

(3) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–सदस्य। से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी रहा हो:

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम हो और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थाओं के अधीन अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का

अंग्रेजी से हिंदी या विपर्ययेन	
शब्दावली (ग्रंथ सूचिकरण कार्य) का	
उपयोग करने या लागू करने का तीन	
वर्ष का अनुभव।	
या	
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर	
उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त	
अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी का अध्यापन अथवा हिंदी	
या अंग्रेजी के अनुसंधान का तीन वर्ष का	
अनुभव।	
वांछनीय:	
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर पर	
संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी	
के अलावा अन्य भाषाओं का अध्ययन किया	
गया हो।	
टिप्पण1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए	
जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार	
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके	
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके	
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी	
अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद	
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत	
अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
Arring 2: martinals arrived	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति	
के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके	
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	
को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
नम अञ्चन पव त जावक नहा हागा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.कार्यक्रमक	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	लागू	लागू	प्रोन्नति जिसके न	प्रोन्नति: -	विभागीय	लागू
नहीं	नहीं	नहीं	हो सकने पर	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे	प्रोन्नति	नहीं
होता	होता	होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	कार्यक्रमण सहायक जिन्होंने वेतन	समिति	होता।
			(जिसके अंतर्गत	मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-	(प्रोन्नति के	
			अल्पकालिक	112400रु.) में पाँच वर्ष नियमित	संबंध में	
			संविदा भी है)	सेवा की है।	विचार करने	
					के लिए) जिसमें	
					ाजतम निम्नलिखित	
				<b>A</b> * 33 3	होंगे:	
				टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के	(1.) संयुक्त	
				संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	सचिव,	
				सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	राष्ट्रीय मानव अधिकार	
				विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे	आयोग -	
				   ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार	अध्यक्ष;	
				प्राचित्रा । त्राचा	(2.) संयुक्त	
				किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके	रजिस्ट्रार,	
				द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा	राष्ट्रीय मानव अधिकार	
				अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से	आयोग -	
				अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी	सदस्य;	
				कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने	(3.) ज्येष्ठ तंत्र	
				ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने	विश्लेषक, राष्ट्रीय मानव	
				अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही	अधिकार आयोग -	
				पूरी कर ली है।		
					सदस्य।	
				प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक		
				संविदा भी है): - केंद्रीय सरकार या राज्य		
				सरकार या विश्वविद्यालयों या सरकारी		
				अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर		

	उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों
	के अधीन ऐसे अधिकारी:-
	(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद
	धारण किए हुए हैं; और
	(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक
	अर्हताएं और अनुभव है: -
	आवश्यक:
	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
	सांख्यिकी या गणित (सांख्यिकी सहित)
	या ऑपरेशन अनुसंधान या भौतिकी या
	अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) या वाणिज्य
	(सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री;
	या
	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
	इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान में बैचलर
	की डिग्री।
	(ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य का
	तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से
	कम एक वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक
	कंप्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो;

या उपरोक्त (i) में उल्लिखित विषयों में से किसी भी विषय में इंजीनियरी या डॉक्टरेट में स्नातकोत्तर डिगी। वांछनीय: (i) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सिस्टम डिजाइन या विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण: (ii) एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान। टिप्पण1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25. ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	लागू <del>रिं</del>	लागू <del>रिं</del>	प्रोन्नति जिसके	प्रोन्नति:	विभागीय	लागू <del>र्र</del> ी
नहीं होता	नहीं होता	नहीं होता।	न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग में ऐसे	प्रोन्नति समिति	नहीं होता।
			द्वारा (जिसके अंतर्गत	कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स	(प्रोन्नति के	
			अल्पकालिक संविदा भी है)	में स्तर-6 (35400-112400रु.) में पाँच	संबंध में विचार	
				वर्ष नियमित सेवा की है।	करने के लिए)	
				प्यागयाम् ( त्या का हा	जिसमें	
				टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध	- निम्नलिखित	
				में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा	होंगे:	
				पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार	(1) संयुक्त	
				किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ	(1) "3"	
				व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	सचिव, राष्ट्रीय	
				जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा	मानव अधिकार	
				की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित	आयोग -	
				अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से	अध्यक्ष;	
				या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से		
				कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ	(2) निदेशक,	
				व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या	राष्ट्रीय मानव	
				पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	अधिकार	
				6	आयोग	

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक	- सदस्य;
संविदा भी है): -	
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या	
विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान	(3) अवर
संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या	सचिव, राष्ट्रीय
कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे	मानव अधिकार
अधिकारी:-	आयोग -
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में	सदस्य।
नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए	
हुए हैं;	
या	
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6	
(35400-112400 रु.) में नियमित	
आधार पर कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के	
पद पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष सेवा	
की है; और	
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक	
अर्हताएं और अनुभव है: -	
आवश्यक:	
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही	
डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम	

के रूप में अंग्रेजी रहा हो:

या
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही
डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक
विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम
के रूप में हिंदी रहा हो:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी
विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही
डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम हो और
हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के
रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम
रहा हो:

या
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी
विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही
डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में
रहा हो और दोनों में से कोई एक
परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में
रहा हो; और
हिंदी से अंग्रेजी में और विपर्ययेन अनुवाद

रहिसा राजाप्रजा मा आर्मिनमाम अधिमार

कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या

सर्टिफिकेट कोर्स अथवा केन्द्रीय सरकार या

राज्य सरकार जिसके अंतर्गत भारत

सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी

	और विपर्ययेन अनुवाद कार्य का तीन वर्ष	
	का अनुभव।	
	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26. ज्येष्ठ	1* (2020)	लागू	स्तर-7	चयन	लागू नहीं
अनुसंधान	*कार्यभार के आधार पर	नहीं होता।	(44900-142400		होता।
सहायक।	परिवर्तन किया जा सकता है।	61/111	₹.)		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति:- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे अनुसंधान सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्त् यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से. इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):-केन्द्रीय सरकार. सरकार, संघ राज्य क्षेत्र. स्वायत्त या कानूनी संगठन, सेक्टर पब्लिक उपक्रमों. विश्वविद्यालयों मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी: (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं: आवश्यक:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री:

- (2) निदेशक, राष्ट्रीय अधिकार मानव आयोग - सदस्य:
- (3.) संयुक्त निदेशक (आर), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य।

(ii) किसी सामाजिक विज्ञान	
में दो वर्ष अनुसंधान का	
अनुभव।	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे	
विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की	
सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर	
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	
पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार	
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	
पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि	
(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा	
भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय	
सरकार के उसी या किसी अन्य	
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर	
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि	
है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक	
संविदा भी है) साधारणतया तीन	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा	
नियुक्ति के लिए अधिकतम	
आयु सीमा (जिसके अंतर्गत	
अल्पकालिक संविदा भी है)	
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को छप्पन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. सहायक लेखा अधिकारी।	3* (2020)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;	प्रोन्नति:- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे लेखाकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार	लागू नहीं होता।

(ii) 33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। 112400 रु.) में पाँच वर्ष नियिमत सेवा की है।

टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): -केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता हो:

करने के लिए) जिसमें निम्न्लिखित होंगे:

- (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;
- (2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;
- (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य।

(i) जो केन्द्रीय सरकार के किसी	
एक संगठित लेखा विभाग द्वारा	
अधीनस्थ लेखा परीक्षा/ लेखा	
सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो;	
(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और	
प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान में रोकड़	
और लेखा कार्यों में प्रशिक्षण को	
सफलतापूर्वक पूरा किया हो और	
रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में	
कम से कम तीन वर्ष का अनुभव	
हो।	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे	
विभागीय अधिकारी,जो प्रोन्नति की	
सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर	
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	
पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त	
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि	
(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा	
भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार	
के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले	
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके	
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति	
के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके	
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	
को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. उप प्रलेखीकरण अधिकारी।	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;  (2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;  (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;	लागू नहीं होता।
				प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारी- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100रु.) में दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं;  आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में	विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;	

बैचलर डिग्री;

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाके अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (3) लाइब्रेरियन / प्रलेखन अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।

## वांछनीय

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री:
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29. कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी)।	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं।  (केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
					टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्ष्द्वीप संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्ष्द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई है।

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से

या
किसी मान्यताप्राप्त
विश्वविद्यालय से
हिंदी या अंग्रेजी से
भिन्न किसी भी
विषय में मास्टर
डिग्री और साथ ही
डिग्री स्तर पर हिंदी
माध्यम हो और
अंग्रेजी अनिवार्य या
वैकल्पिक विषय के
रूप में रहा हो या
परीक्षा का माध्यम
रहा हो;

या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम हो और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा माध्यम रहा हो; या

या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी ऐसे अधिकारी:

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और

(ख) जिनके पास स्तम्भ

(7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण 1:प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकार आयोगअध्यक्ष-:

(2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य:

(3) सहायक निदेशक (हिंदी), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।

विषय में मास्टर				
डिग्री और साथ ही				
डिग्री स्तर पर हिंदी				
और अंग्रेजी				
अनिवार्य या				
वैकल्पिक विषय के				
रूप में रहा हो और				
दोनों में से कोई एक				
परीक्षा का माध्यम				
रहा हो और दूसरा				
अनिवार्य या				
वैकल्पिक विषय के				
रूप में रहा हो;				
और				
हिंदी से अंग्रेजी में				
और विपर्ययेन				
अनुवाद कार्य का				
डिप्लोमा या				
सर्टिफिकेट कोर्स				
अथवा केन्द्रीय				
सरकार या राज्य सरकार जिसके				
अंतर्गत भारत				
सरकार के उपक्रम भी				
हैं में हिंदी से अंग्रेजी				
और विपर्ययेन				
अनुवाद कार्य का दो				
वर्ष का अनुभव।				
	<u> </u>	l .		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30. अनुसंधान	3* (2020)	लागू	स्तर-6	लागू	तीस वर्ष से अधिक नहीं।
सहायक।	*कार्यभार के	नहीं होता।	(35400-112400	नहीं	
	आधार पर	हाता।	रु.)	होता।	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-
	परिवर्तन किया जा सकता है।				समय पर जारी निर्देशों या
	जा समसा हा				आदेशों के अनुसार सरकारी
					सेवकों के लिए पांच वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती है। )
					Array of the control of
					<b>टिप्पण</b> :आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने

		के लिए नियत की गई अंतिम
		तारीख होगी न कि वह अंतिम
		तारीख जो असम,
		मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ
		राज्य क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ
		राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति
		जिला तथा हिमाचल प्रदेश के
		पांगी उप-खण्ड, अंदमान
		और निकोबार द्वीप समूह संघ
		राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ
		राज्य क्षेत्र के लिए नियत की गई
		अंतिम तारीख है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(/) आवश्यकः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। वांछनीयः (1) किसी मान्यताप्राप्त शोध संस्थान से न्यूनतम एक वर्ष का अनुसंधान का अनुभवः (2) किसी मान्यताप्राप्त शिधविद्यालयसे विश्वविद्यालयसे विश्वविद्यालयसे विश्वविद्यालयसे विश्वविद्यालयसे विश्वविद्यालयसे विश्वविद्यालयसे	(8) लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति		विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय	(13) लागू नहीं होता।

र.) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
पश्चात दस वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं।  िटप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं।  िटपण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) अधिकार के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं।  िटप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
के अधीन सीधी भर्ती के आयोग- लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
विहित अनुभव हैं। <b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि  (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
विहित अनुभव हा  िष्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि  (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
संविदा भी है) जिसके अंतर्गत
उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक
पहले धारित किसी अन्य काडर
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की
अवधि है (जिसके अंतर्गत
अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक
नहीं होगी।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा
नियुक्ति (जिसके अंतर्गत
अल्पकालिक संविदा भी है)
आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख को छप्पन
वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.कार्यक्रमण	2* (2020)	लागू	स्तर—6	लागू नहीं	लागू नहीं
सहायक।	* कार्यभार के आधार पर	नहीं	(35400-112400	होता।	होता।
	परिवर्तन किया जा सकता है।	होता।	₹.)		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	लागू	लागू	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक	(1) संयुक्त	लागू
नहीं	नहीं	नहीं	(जिसके	संविदा भी है) /आमेलन:	सचिव, राष्ट्रीय	नहीं
होता।	होता।	होता।	अंतर्गत	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या	मानव अधिकार	होता।
			अल्पकालिक	विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त	आयोग – अध्यक्ष;	
			संविदा भी है)	अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर	(2) संयुक्त	
			/आमेलन	उपक्रमों या कानूनी या अर्द्ध-सरकारी या		
				स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:-	मानव अधिकार	
				(क) जो नियमित आधार पर सदृश	आयोग – सदस्य;	
				पदधारण किए हुए हैं; और	(3) ज्येष्ठ	
				(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक	प्रणाली विश्लेषक,	
				अर्हताएं और अनुभव हैः	राष्ट्रीय मानव	

## आवश्यकः-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या संक्रियात्मक अनसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग/ कम्प्यटर साइंस में डिग्री:
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष के अनुभव, जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग अथवा ऑपरेशन में एक वर्ष का अनुभव भी है;

या

डाटा प्रोसेसिंग कार्य में दो वर्ष के अनुभव, जिसके अंतर्गत यूनिट रिकार्ड सिस्टम (टैबुलर या लेखांकन मशीनों, कोलेटर आदि) में एक वर्ष का अनुभव भी है;

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री जिसमें सांख्यिकी एक विषय के रूप में रहा हो:
- (ii) उपर्युक्त (ii) में पांच वर्ष का अनुभव।

## वांछित:-

- (i) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन में औपचारिक प्रशिक्षण।
- (ii) एक या अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजिस का ज्ञान:
- (iii) ऑपरेटिंग मैकेनिकल टैब्यूलेशन उपकरण का अनुभव और ऐसे उपकरण के नियोजन और देखरेख के कार्य का अनुभव। टिप्पण 1: आमेलन के लिए केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों पर ही विचार किया जाएगा।

से अधिक नहीं होगी।

अधिकार आयोग -सदस्य।

टिप्पण: उपरोक्त समिति के सदस्य राष्टीय मानव अधिकार आयोग कार्यक्रमण सहायक के लिए अभ्यर्थी के चयन लिए. यथास्थिति. छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष

	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति	
	(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी	
	है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	
	को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32. लेखाकार।	3* (2020)	लागू	स्तर-6	चयन	लागू
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	नहीं	(35400-112400		नहीं
	किया जा सकता है।	होता।	रु.)		होता।

(7)	(0)	(0)	(40)	(44)	(12)	(12)
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) दो वर्ष।	(10) (i) 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे कनिष्ठ लेखाकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.) में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से नकद और	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –	(13) लागू नहीं होता।
			अल्पकालिक संविदा भी है)।	लेखा पाठ्यक्रम पूरा किया है।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो,	अध्यक्ष; (2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;	
				वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक	(3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– सदस्य।	
				या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	समिति (पष्टि के	
					(1) निदेशक,	

कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -अध्यक्ष:

(2) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, राष्टीय अधिकार मानव आयोग- सदस्य:

अधिकार

(3) सहायक लेखा अधिकारी, राष्टीय मानव आयोग- सदस्य।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों. संघ राज्य क्षेत्रों.स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों. विश्वविद्यालयों मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर दस वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में रोकड और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

,		
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी	
	है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के	
	उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग	
	में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	
	किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
	प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके	
	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	
	साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी।	
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु	
	सीमा (जिसके अंतर्गत	
	अल्पकालिक संविदा भी है)	
	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
	तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक	
	नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. स्टॉफ कार	1* (2020)	लागू	स्तर-6	अचयन	लागू
ड्राइवर (विशेष	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	नहीं	(35400-112400		नहीं
श्रेणी)	किया जा सकता है।	होता।	रु.)		होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति।	प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (29200- 92300 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
				टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	<ul> <li>(1) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</li> <li>(2) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</li> <li>(3) उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</li> </ul>	

	ı			$\neg$
			विभागीय पुष्टि समिति	
			(पुष्टि के संबंध में विचार	
			करने के लिए) जिसमें	
			निम्नलिखित होंगे:	
			गिन्गालाखत हाग.	
			(1)संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय	
			मानव अधिकार आयोग	
			– अध्यक्ष;	
			– ખબ્લા,	
			(2) निदेशक, राष्ट्रीय	
			मानव अधिकार आयोग	
			– सदस्य;	
			(3) अवर सचिव, राष्ट्रीय	
			मानव अधिकार आयोग	
			– सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. स्टॉफ कार ड्राइवर	4* (2020)	लागू	स्तर -5	अचयन	लागू
(श्रेणी-I)	* कार्यभार के आधार पर	नहीं	(29200-92300 रु.)		नहीं
	परिवर्तन किया जा सकता है।	होता।			होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति।	प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-।। जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या जिन्होंने स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-।। और स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-।। और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) में पन्द्रह वर्ष सम्मलित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।
				टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता से अधि से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी	अधिकार आयोग - सदस्य;	

		कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	अधीक्षक,	राष्ट्रीय	
		कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	मानव	अधिकार	
		वा नामता तमा नहुल हा दूरा कर ला हा	आयोग - स	दस्य;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35. स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)।	3* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति।	प्रोन्नित: वेतन मेट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।  टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष; (2) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य; (3) उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य;	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36. स्टॉफ	4* (2020)	लागू	स्तर-2	लागू	18 और 27 वर्ष के बीच*
कार ड्राइवर	* कार्यभार के	नहीं	(19900-63200 रु.)	नहीं	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए
(साधारण	आधार पर	होता।		होता।	गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार
श्रेणी)।	परिवर्तन किया				सरकारी सेवकों के लिए शिथिल
	जा सकता है।				करके चालीस वर्ष तक की जा
					सकती है।)

		टिप्पण: आयु सीमा अवधारित
		करने की निर्णायक तारीख
		अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
		लिए नियत की गई अंतिम तारीख
		-
		होगी न कि वह अंतिम तारीख जो
		असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य
		क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ राज्य
		क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला
		तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-
		खण्ड, अंदमान और निकोबार
		द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा
		लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए
		नियत की गई अंतिम तारीख है।
		* यह भर्ती प्रत्यक्ष खुली
		प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की
		जाएगी।
		)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यकः	लागू नहीं	सीधे भर्ती	सीधी	लागू	विभागीय पुष्टि	लागू
(i) जिनके पास मोटर कार के लिए	होता।	किए जाने	भर्ती।	नहीं	समिति (पृष्टि के	नहीं
विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति हो;		वाले		होता।	संबंध में विचार	होता।
(ii) मोटर के कल पुर्जे का ज्ञान		व्यक्तियों के लिए दो			करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	
(अभ्यर्थी यान की छोटी-मोटी		वर्ष। वर्ष।			होंगे:	
खराबियों को ठीक करने के योग्य हो);					(1) निदेशक, राष्ट्रीय	
(iii) मोटर कार चलाने में कम से कम					मानव अधिकार	
					आयोग-अध्यक्ष;	
तीन वर्ष का अनुभव हो; और						
(iv) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।					(2) अवर सचिव,	
					राष्ट्रीय मानव	
वांछनीय:					अधिकार आयोग-	
होम गार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।					सदस्य;	
रूप म तान वष का सवा।						
					(3) उप पुलिस	
टिप्पण 1: अनुभव संबंधी अर्हता					अधीक्षक, राष्ट्रीय	
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार					मानव अधिकार आयोग- सदस्य।	
शिथिल की जा सकती है।					जावाग- तदस्या	

टिप्पणी 2: अनुसूचित जातियों या			
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों			
की दशा में तब शिथिल की जा सकती			
है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम			
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके			
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के			
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन			
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त			
संख्या में उपलब्ध होने की संभावनाएं			
नहीं हैं।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37. कनिष्ठ	3*(2020)	लागू	स्तर-4	लागू	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय
लेखाकार।	*कार्यभार के	नहीं	(25500-81100रु.)	नहीं	सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों
	आधार पर	होता।		होता।	या आदेशों के अनुसार विभागीय
	परिवर्तन				अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा
	किया जा				चालीस वर्ष तक की जा सकती है)
	सकता है।				
					टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने
					की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत
					की गई अंतिम तारीख होगी न कि
					वह अंतिम तारीख जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य
					क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र,
					लाहौल और स्पीति जिला तथा
					हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-
					खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप
					समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप
					संघ राज्य क्षेत्र के अभियार्तियों के
					लिए नियत की गई अंतिम तारीख
					है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक: - बी.कॉम सहित कम्प्यूटर एप्लिकेशन का ज्ञान।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर	विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।

वांछनीय: - लेखा और रोकड़ के लेन- देन संबंधी मामलों का अनुभव।	अल्पकालिक संविद भी है)।	उपक्रमों, विश्वविद्यालयों अथवा मानयताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;	निम्नलिखित होंगे:- (1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– अध्यक्ष;
		(ii) जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो; और	(2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– सदस्य;
		(ख) जिनके पास स्तम्भ- (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।  टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन	(3.) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– सदस्य।
		वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38. उच्च श्रेणी लिपिक।	11* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैा	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं ता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 70 प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति:-  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक की प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में 8 वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली हो।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से अधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।  प्रतिनियुक्ति द्वारा: -  (i) केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा  (ii) अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में अथवा उसके समतुल्य श्रेणी मेंवेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में 8 वर्ष नियमित सेवा की है।  टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागिय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्ति होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रान्ति होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रान्ति होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रान्ति होंगे।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य; (3.) सहायक रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य।	लागू नहीं होता।

	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष।	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (25500-81100 रु.).	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी –	विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।

पुस्तकालय	(क) जो नियमित आधार पर	
और सूचना विज्ञान में	सदृश पद धारण किए हुए हैं;	(1.) संयुक्त
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(ख) जिनके पास स्तंभ–(7) के	सचिव, राष्ट्रीय
बैचलर डिग्री;	अधीन सीधे भर्ती किए जाने	मानव अधिकार
(ii) केंद्रीय	वाले व्यक्तियों के लिए विहित	आयोग- अध्यक्ष;
सरकार या	शैक्षणिक अर्हता और अनुभव	
राज्य सरकार	है।	
या स्वायत्त या		(2.) निदेशक,
कानूनी संगठन या पब्लिक	टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की	राष्ट्रीय मानव
सेक्टर उपक्रम	अवधि (जिसके अंतर्गत	अधिकार
या	अल्पकालिक संविदा भी है)	आयोग- सदस्य;
विश्वविद्यालय	उसी या किसी अन्य संगठन या	
या	विभाग में इस नियुक्ति से ठीक	(3.)संयुक्त
मान्यताप्राप्त	पहले धारित किसी अन्य काडर	
अनुसंधान या	बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की	निदेशक, राष्ट्रीय
शैक्षणिक संस्था	अवधि है (जिसके अंतर्गत	मानव अधिकार आयोग- सदस्य।
के अधीन	अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से	जायाग- सपस्या
पुस्तकालय में	अधिक नहीं होगी।	
दो वर्ष का	जावम गहा हागा।	
वृत्तिक अनुभव।		
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा	
वांछनीय:	नियुक्ति (जिसके अंतर्गत	
किसी मान्यता प्राप्त	अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा	
विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
या संसथान से	तारीख को छप्पन वर्ष से	
कम्प्यूटर	अधिक नहीं होगी।	
उपयोजन में		
डिप्लोमा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. आशुलिपिक	22* (2020)	लागू	स्तर-4	लागू	आयु 18 से 27 वर्ष के
श्रेणी-घ	* कार्यभार के	नहीं होता।	(25500-81100 रु.)	नहीं होता।	बीच।
	आधार पर	61/111		61/111	(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के
	परिवर्तन किया जा सकता है।				अनुसार सरकारी सेवकों के
	जा रागरा। हा				लिए शिथिल करके
					चालीस वर्ष तक की जा
					सकती है)। <b>टिप्पण</b> : आयु सीमा
					अवधारित करने की

		निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों
		से आवेदन प्राप्त करने के लिए
		नियत की गई अंतिम तारीख
		होगी न कि वह अंतिम
		तारीख जो असम,
		मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ
		राज्य क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर
		संघ राज्य क्षेत्र,
		लाहौल और स्पीति जिला
		तथा हिमाचल प्रदेश के
		पांगी उप-खण्ड, अंदमान
		और निकोबार द्वीप समूह
		संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप
		संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों
		के लिए नियत की गई
		अंतिम तारीख है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक:  (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समतुल्य।  (ii) कौशल परीक्षा संबंधी मानदंड:- श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट की गित से 10 मिनट। अनुलिपिकरण (केवल कम्प्यूटर पर): 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी)।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मानयता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।  टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2.) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य; (3.) सहायक रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार	लागू नहीं होता

टिप्पण: अंग्रेजी और हिन्दी दोनों के आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। वांछनीय:		टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमाआ वेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	आयोग- सदस्य।	
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर में डिप्लोमा।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41. कांस्टेबल	12* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-3 (21700-69100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता। ह	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
िटप्पण: -उपरोक्त सिमिति के सदस्य राष्ट्रीय मानव हिटप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकार आयोग में अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की कांस्टेबल के लिए अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं के लिए यथा स्थिति, छानबीन सिमिति या चयन समिति के रुप में कार्य करेंगे।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		प्रितिनयुक्ति द्वाराः  केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे कार्मिकों में से:- जो किसी केंद्रीय पुलिस सशस्त्र बल में सदृश पद धारण किए हुए हों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे कांस्टेबल, जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है।  टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	(1.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2.) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य; (3.) उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कांस्टेबल के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के लिए यथा स्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के रुप में	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. अवर श्रेणी लिपिक।	20* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-2 (19900–63200 रु.)	अचयन।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियोंके लिए नियत की गई अंतिम तारीख है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।	जी हाँ, स्तम्भ (10) में दर्शाई गयी सीमा तक।	दो वर्ष।	(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;  टिप्पण: चयन लिखित परीक्षा तथा कम्प्यूटर पर लिए गए टाइपिंग टेस्ट के आधार पर होगा।  (ii) 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-1 (18000- 56900रु.) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृन्द, जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ता है। टिप्पण: ज्येष्ठता-सह- उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति की जाएगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य; (3.) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य। विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार	लागू नहीं होता।

		आयोग- अध्यक्ष;
		(2.) निदेशक, राष्ट्रीय
		(2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-
		सदस्य;
		(3.) उप सचिव,राष्ट्रीय
		(3.) उप सचिव,राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-
		सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43. सवार हरकारा।	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): - केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थओं के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) या उसके समतुल्य लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; तथा (ख) (i) जिनके पास मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति है; (iii) मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव हो; (iiii) मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा के कलपुर्जों का ज्ञान हो (अभ्यर्थी को यान में आई छोटी-मोटी खराबी को ठीक करने में दक्ष होना चाहिए।) टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अविध	(1.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2.) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य; (3.) उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य। टिप्पण: - उपरोक्त समिति के सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सवार हरकारा के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के लिए यथा स्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के रुप में कार्य करेंगे।	लागू नहीं होता।

	(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने	
	वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर रखा जा सकता है।	
	टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44. बहुकार्य कर्मचारीवृन्द।	78* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	लागू नहीं होता।	स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)।
	सकता है।				टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम

		तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो
		असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू-
		कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र,
		लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल
		प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान
		और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र
		तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के
		अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम
		तारीख है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10 <sup>वीं</sup> कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य; (3.) सहायक रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 15011/124/2018-एचआर-III] आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2020

G.S.R. 473(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), and in supersession of the national Human rights Commission (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the posts of Registrar (Law), Joint Secretary, Deputy Inspector General, Director, Joint Registrar, Private Secretary, Senior Superintendent of Police, Assistant Registrar, Under Secretary, Senior Research Officer, Special Assistant/Private Secretary/Principal Private Secretary, Senior System Analyst, Information and Public Relations Officer, Programmer, Assistant Accounts Officer, Assistant Director (Hindi), Senior Translator (Hindi), Research Assistant, Programmer Assistant and Junior Translator (Hindi); and in supersession of the National Human Rights Commission (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the posts of Assistant Librarian, Junior Accountant, Stenographer Grade 'D', Lower Division Clerk, Despatch Rider, Constable, Library Attendant, Daftry, Peon, Farash and Safai Karamchari; and in supersession of the National Human Rights Commission (Staff Car Drivers Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2003 and the National Human Rights Commission (Conditions of Service of Officers and Staff) Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Human Rights Commission (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Officers and other Staff) Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition .- In these rules, unless the context otherwise requires, "Commission" means the National Human Rights Commission constituted under Section 3 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994).
- 3. Officers and Staff of the Commission .- The nature and categories of the officers and staff of the Commission and the method of recruitment and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in the schedule appended to these rules.
- 4. Conditions of Service .- The conditions of service of the officers and staff of the Commission in the matter of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to officers and staff belonging to the Central Government, as the case may be, of the corresponding level in pay matrix attached to these posts, subject to the approval of competent authority in the matter.
- 5. Medical facilities .- The officers and staff of the Commission in the matter of medical facilities shall be covered under Central Government Health Scheme facilities.
- 6. Number of posts, Classification and level in the pay matrix. The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 7. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 8. Initial Constitution.- (1) The incumbent holding the posts of Chief Coordinator (Training), Presenting Officer, Deputy Registrar, Joint Director (Research), Deputy Secretary, System Analyst, Assistant Information Officer, Research Officer, Librarian/ Documentation Officer, Senior Research Assistant, Deputy Documentation Officer, Accountant and Upper Division Clerk on regular basis, immediately before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.
  - (2) The regular continuous service of incumbent referred above in the respective grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation period, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.
- 9. Appointing Authority .- (1) All appointments to the posts mentioned from serial number 1 to serial number 23 of column (1) of the said Schedule, shall be made by the Chairperson, National Human Rights Commission.
  - (2) All appointments to the posts mentioned from serial number 24 to serial number 33 of column (1) of the said Schedule, shall be made by the Secretary General, National Human Rights Commission.
  - (3) All appointments to the posts mentioned from serial number 34 to serial number 44 of column (1) of the said Schedule, shall be made by the Director, National Human Rights Commission.
- 10. Disqualification .- No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; [shall be eligible for appointment to the said posts]:
    - Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 11. Powers to relax .- The powers to relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons shall vest with the Chairperson, National Human Rights Commission to be exercised in consultation with the Central Government.
- 12. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, exservicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification	Level in pay	Selection post or	Age-limit for
		of the post.	matrix.	Non-selection	direct
				post.	recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Registrar	1* (2020)	Not applicable.	Level-15	Not applicable.	Not
(Law).	* Subject to variation		(Rs.182200-		applicable.
	depending on work load.		224100).		

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract) failing which by reemployment.	By deputation (including short-term contract):- Officers holding the post of Registrar (Judicial) of Supreme Court or High Courts or Tribunals or Members of Higher Judiciary in State Judicial Services, possessing the following educational qualification: -  Essential — Degree in Law from a recognized University.	(1.) Chairperson, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Member, National Human Rights Commission— Member;  (3.) Secretary General, National Human Rights Commission— Member.	Not applicable.
				Desirable –  (i) Post Graduate Degree in law	Note: - The Members of the above Committee	

or of any other post involving interpretation or application of statues.  Note 1: The period of deputation (including short- term contract) including the period of deputation (including short- term contract) including short- term contract) including short- term contract) in another ex-cadre post held immediately			from a recognised university.  (ii) research experience in one of the following fields:  (a)Constitutional Law and its Theory.  (b) Human Rights jurisprudence.  By reemployment: - Persons who have held analogous post under the Central Government or Supreme Court or High Court and possessing experience as Registrar of a higher judiciary.	will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Registrar (Law) in National Human Rights Commission.	
preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall			higher judiciary or of any other post involving interpretation or application of statues.  Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or		

Note 2: The
maximum age-
limit for
appointment by
deputation
(including short-
term contract)
shall be 'not
exceeding fifty-
eight years' as
on the closing
date of receipt of
application.
Note 3: In case
of re-
employment the
engagement shall
be for a period of
three years or
sixty-five years
of age whichever
is earlier.

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
2. Joint	1* (2020)	Not	Level-14	(Rs.144200-	Not	Not
Secretary.	* Subject to variation	applicable.	218200).		applicable.	
	depending on work load.					applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation.  For ex- servicemen: Deputation or re- employment.	By deputation of empanelled All India or Central Service officers or officers holding analogous posts under the Central Government or officers holding posts in level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix with three years' regular service in the grade.  Note 1: The period of deputation including the period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.	Not applicable.	Not applicable.

				Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-eight years' as on the closing date of receipt of application.		
				For ex-Servicemen:  Deputation or reemployment: -  The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re- employment.		
(1)	I	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Chief	1* (2020)	Not	Level-14 (Rs.144200-	Not	Not
Coordinator	* Subject to variation	applicable.	218200).	applicable.	
(Training).	depending on work load.				applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Re- employment or deputation (including short-term contract).	Re-employment: From persons who have held analogous posts on regular basis under the Central Government or State Government or other Statutory Autonomous bodies, before proceeding on retirement.	(1.) Chairperson, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Member, National Human Rights Commission —	Not applicable.
				By deputation (including short-term contract) of empanelled All India or Central Service officers or officers holding analogous posts under the Central Government	Member;  (3.) Secretary General, National Human Rights Commission –	

00 1111 1
or officers holding posts in level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix with three years' regular service in the grade or in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade or officers holding the analogous posts on regular basis under the Statutory Autonomous bodies.  Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.  Member:  The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Chief Coordinator (Training) in National Human Rights Commission.  Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall deputation (including short-term shall ordinarily not exceed five years.
held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.  Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall
be 'not exceeding fifty- eight years' as on the closing date of receipt of application.  Note 3: The period of re- employment shall not exceed three years.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Presenting	5* (2020)	Not	Level-14 (Rs.144200-	Not	Not
Officer.	* Subject to variation	applicable.	218200).	applicable.	applicable.
	depending on work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): - Judicial Officer who is holding or who has held the post of District or Additional District and	(1.) Chairperson, National Human Rights Commission— Chairman;	Not applicable.

	Sessions Judge or Special Judge.  Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.  Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fiftyeight years' as on the closing date of receipt of application.  Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fiftyeight years' as on the closing date of receipt of application.  Note: -  The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Presenting Officer in National Human Rights Commission.	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Deputy	1* (2020)	Not	Level-13A (131100-	Not	Not
Inspector General.	* Subject to variation depending on work load.	applicable.	216600).	applicable.	applicable.
	depending on work load.				applicable.
	!				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation.	By deputation:  (i) Officers of the Indian Police Service or Central Police Organisations holding analogous posts on a regular basis;	(1.) Member, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Secretary General,	Not applicable.

OR  (ii) Officers of the Indian Police Service who are approved for appointment as Deputy Inspector General under the Central Government;  Note 1: Officers of Indian Police Service empanelled as Deputy Inspector General with 14 years' service shall be eligible for consideration for promotion as Deputy Inspector General.  Note 2: The period of deputation in another ex-cadre post held immediately  National Human Rights Commission – Member;  (3.) Director General (Investigation), National Human Rights Commission – Member.  Note: -  The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as	
preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.  Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing to select candidate for the post of Deputy Inspector General in National Human Rights Commission.	
date of receipt of application.	

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* (2020)	Not	Level-13 (Rs.123100-	Not	Not
Subject to variation	applicable.	215900).	applicable.	
epending on work load.				applicable.
	(2020) Subject to variation	(2020) Not Subject to variation applicable.	(2020) Not Level-13 (Rs.123100- Subject to variation applicable. 215900).	(2020) Not Level-13 (Rs.123100- Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation failing which by re- employment.	By deputation:  (i) Officers of the Indian Police Service working in the Selection Grade;  OR  (ii) Officer of Indian Police Service or	(1.) Secretary General, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Director General	Not applicable.

	Force in the (Rs. 7) the p	tral or State Police tes or Organisations the Level-12 78800-209200) in the pay matrix with five the s' regular service.	(Investigation), National Human Rights Commission – Member;	
	India Office retire	ed at the level of ction grade or from	(3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member.	
	Cent Orga retire State have posts  Note deput the p	tral Police Forces or anisations or from ed officers from e Police Forces who e held analogous s on regular basis.  e 1: The period of attation including period of deputation	Note: The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as	
	in an held preceappe same orga depa	nother ex-cadre post	the case may be to select candidate for the post of Senior Superintendent of Police in National Human Rights Commission.	
	age- appo depu exce years date	e 2: The maximum limit for pintment by attation shall be 'not reding fifty-six s' as on the closing of receipt of ication.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Director.	1* (2020)	Not	Level-13 (Rs.123100-	Selection.	Not
	* Subject to variation	applicable.	215900).		
	depending on work load.				applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term	Promotion:  Deputy Secretary in National Human Rights Commission with five years of regular service	Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Not applicable.

contract)	in level-12 (Rs.78800-	consisting of: -	
contract)	209200) in the pay		
	matrix.	(1.)	
For ex-		Chairperson,	
servicemen:		National	
Donutation	<b>Note:</b> Where juniors	Human Rights Commission—	
Deputation or	who have completed	Chairman;	
OI	their qualifying or	Chairman,	
re-	eligibility service are		
employment.	being considered for	(2.) Member,	
	promotion, their seniors would also be	National	
	considered provided	Human Rights	
	they are not short of the	Commission –	
	requisite qualifying or	Member;	
	eligibility service by		
	more than half of such	(3.) Secretary	
	qualifying or eligibility	General,	
	service or two years,	National	
	whichever is less, and	Human Rights	
	have successfully	Commission –	
	completed their probation period for	Member.	
	promotion to the next		
	higher grade along with		
	their juniors who have		
	already completed such		
	qualifying or eligibility		
	service.		
	D ( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
	Deputation (including short-term contract):		
	short-term contract): Officers under the		
	Central Government,		
	State Government,		
	Union territories,		
	autonomous or		
	statutory organisations,		
	Public Sector		
	Undertakings,		
	Universities or recognised Research		
	Institutions;		
	(a)(i) holding analogous		
	post on a regular basis		
	in the parent cadre or department.		
	_		
	Or		
	(ii) with five years'		
	service rendered after		
	appointment to the post		
	on a regular basis in		
	level-12 (Rs.78800-		
	209200) in the pay		
	matrix or equivalent in		
	the parent cadre or department; and		
	department, and		

(b) possessing five years experience in personnel and general administrative matters.
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.
For ex-Servicemen:  The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications

	prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on reemployment.
--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Joint Registrar.	1* (2020)	Not	Level-13 (Rs.123100-	Selection.	Not
	* Subject to variation	applicable.	215900).		applicable.
	depending on work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion:-  Deputy Registrar in National Human Rights Commission with five years' regular service in level-12 (Rs.78800- 209200) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Chairperson or Member, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Secretary General, National Human Rights Commission – Member;  (3.) Registrar (Law), National Human Rights Commission – Member:	Not applicable.
				Short-term contract): Officers of the Central Government, the State		
<u> </u>				Government, Union		

	territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:  (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or	
	department; and  (b) possessing a Degree in Law from a recognised University and five years experience in Court matters or of any other post involving interpretation or application of statutes.	
	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
	Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall ordinarily not exceed five years.	
	Note 3: The maximum age-limit for	

	appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Deputy	3* (2020)	Not	Level-12 (Rs.78800-	Selection.	Not
Registrar.	* Subject to variation	applicable.	209200).		applicable.
	depending on work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Assistant Registrar in National Human Rights Commission with five years' regular service in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1.) Secretary General, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Registrar (Law), National Human Rights Commission— Member;  (3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission— Member;	Not applicable.
				Deputation (including Short-term contract): Officers under the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations,		

T 1	1	Ī
	Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:	
	(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; Or	
	(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;	
	And  (b) possessing a Degree in Law from a recognised University and five years experience in Court matters or of any other post involving interpretation or application of statutes.	
	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	
	Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
	Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately	
	preceding this appointment in the same or some other organisation or	

	department shall ordinarily not exceed four years.	
	Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Joint Director	1* (2020)	Not	Level-12 (Rs.78800-	Selection.	Not
(Research).	* Subject to variation	applicable.	209200).		applicable.
	depending on work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion:  Senior Research Officer in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Member, National Human Rights Commission- Chairman;  (2.) Secretary General, National Human Rights Commission – Member;  (3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member.	Not applicable.

By deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government, the State Union Government, territories, autonomous statutory organisation, Public Sector Undertakings, University recognised Research Institution: (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and possessing following qualifications and experience: Essential (i) Master of Laws from recognised any University; (ii) Masters' in Political Science or Sociology or Social Work Economics or Human Rights or Psychology or Population Studies or Criminology from a recognised University; (iii) five years' research experience in any of the above subjects in a recognised Institution or University. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of
deputation (including
short-term contract)
including the period of
deputation (including
short-term contract) in
another ex-cadre post
held immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
department shall
ordinarily not exceed
four years.
Note 3: The maximum
age-limit for
appointment by
deputation (including
short-term contract)
shall be 'not exceeding
fifty-six years' as on the
closing date of receipt
of application.
11 "

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Senior Principal	01* (2020)	Not	Level-12 (Rs.78800-	Selection.	Not
Private Secretary.	* Subject to variation	applicable.	209200).		applicable.
	depending on work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Principal Private Secretary in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-11 (Rs.67700- 208700) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1.) Secretary General, National Human Rights Commission – Chairman;  (2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member;	Not applicable.

1-4 1 41 1 NT 4 1
completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  National Human Rights Commission – Member.
Deputation (Including short-term contract):  Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department with five years' regular service in
the grade.  Note 1: The Departmental officers shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.
Note 3: The maximum age-limit for

	appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Deputy	01* (2020)	Not	Level-12 (Rs.78800-	Selection.	Not
Secretary.	* Subject to variation	applicable.	209200).		applicable.
	depending on work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.	Promotion:- Under Secretary of National Human Rights Commission in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years' of regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Not applicable.
				Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(1.) Chairperson, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Secretary General, National Human Rights Commission— Member;  (3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission— Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Assistant	10* (2020)	Not	Level-11 (Rs.67700-	Selection.	Not
Registrar.	* Subject to variation depending on work load.	applicable.	208700).		applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	(i) 50 percent by promotion;  (ii) 50 percent by deputation (including short-term contract).	By promotion: Section Officer in the National Human Rights Commission with seven years' regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix and holding a degree in Law from recognised University.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  By Deputation (including short-term contract): -  Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or recognised Research Institution:  (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) with seven years' service rendered after appointment to the post	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Secretary General, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Registrar (Law), National Human Rights Commission— Member;  (3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission— Member.  Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1.) Registrar (Law), National Human Rights Commission— Chairperson;  (2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission— Chairperson;  (3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission— Chairperson;	Not applicable.

		on a regular basis in the level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	Member.	
		(b) possessing a degree in Law from recognised University.		
		Note 1: The Departmental officers shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
		Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.		
		Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Under Secretary.	3* (2020)	Not	Level-11 (Rs.67700-	Selection.	Not
	•	applicable.	208700).		applicable.
	depending on work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(9) Two years.	Promotion failing which by deputation.	Promotion:  Section Officers in National Human Rights Commission in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix having seven years of regular service in the grade.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation:  Officer under the Central Government, the State Government or Union territories:  (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) with seven years' service rendered after	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Chairperson, National Human Rights Commission - Chairman;  (2.) Secretary General, National Human Rights Commission - Member;  (3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission - Member.  Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1.) Secretary General, National Human Rights Commission - Chairman;	Not applicable.
				service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 (Rs.44900- 142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	Secretary, National Human Rights Commission- Member;  (3.) Director, National	

(b) possessing a degree	Human Rights
in Law from recognised	Commission
university.	- Member.
NI 4 1 TI	
Note 1: The	
departmental officers in	
the feeder category who	
are in the direct line of	
promotion shall not be	
eligible for	
consideration for	
appointment on	
deputation. Similarly,	
the deputationists shall	
not be eligible for	
consideration for	
appointment by	
promotion.	
Note 2: The period of	
deputation including	
the period of deputation	
in another ex-cadre post	
held immediately	
preceding this	
appointment in the	
same or some other	
organisation or	
department shall	
ordinarily not exceed	
four years.	
•	
Note 3: The maximum	
age-limit for	
appointment by	
deputation shall be 'not	
exceeding fifty-six	
years' as on the closing	
date of receipt of	
application.	
**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. Senior Research	2* (2020)	Not	Level-11(Rs.67700-	Selection.	Not
Officer.	* Subject to variation	applicable.	208700).		applicable.
	depending on work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 50 percent by promotion failing which by deputation; (ii) 50 percent by deputation.	Promotion:  Research Officer in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Secretary General, National Human Rights Commission—	Not applicable.

being considered for Chairman; promotion, their seniors (2.) Joint would also be Secretary, considered provided National they are not short of the **Human Rights** requisite qualifying or Commissioneligibility service by Member; more than half of such qualifying or eligibility (3.) Joint Director (R), service or two years, whichever is less, and National have successfully **Human Rights** Commissioncompleted their probation period for Member. promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation: Officers under the Central Government or the State Government or Union territories: (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; (b) possessing following qualifications and experience: Essential Qualification: (i) Masters' degree in political science, Statistics, History, Sociology of recognised university; (ii) four years' research experience in any of the social sciences. Desirable Qualification: Degree in law of a recognised University. Note 1: The departmental officers shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for

consideration for
appointment by
promotion.
promotion.
Note 2:The period of
deputation including
the period of deputation
in another <i>ex-cadre</i> post
held immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
department shall
ordinarily not exceed
four years.
Note 3: The maximum
age-limit for
1 -
appointment by
deputation shall be 'not
exceeding fifty-six
years' as on the closing
date of receipt of
application.
прричиноп.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Principal	07* (2020)	Not	Level-11 (Rs.67700-	Selection.	Not
Private Secretary.	3	applicable.			applicable.
	depending on work load.		208700).		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Private Secretary in the National Human Rights Commission with seven years' regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Chairperson or a Member nominated by Chairperson, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Secretary General, National Human Rights Commission— Member;	Not applicable.

probation period for promotion to the next (3.) Joint higher grade along with Secretary, their juniors who have National already completed such **Human Rights** qualifying or eligibility Commission service. Member. Deputation (Including short-term contract): Officers of the Central Government, the State Departmental Confirmation Government, Union territories, autonomous Committee (for or statutory organisations, Public considering Sector Undertakings, confirmation) Universities or consisting of: recognised Research **Institutions holding** (1.) Secretary analogous post on a General, regular basis in the National parent cadre or **Human Rights** department. Commission -Chairman; Note 1: The departmental officers (2.) Joint shall not be eligible for Secretary, consideration for National appointment on **Human Rights** deputation. Similarly, Commission the deputationist shall Member; not be eligible for consideration for appointment by (3.) Director, promotion. National **Human Rights** Commission -Note 2: The period of Member. deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract)

	shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. Senior System Analyst.	1* (2020)  *Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

			<u> </u>		<u> </u>	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract):- 'Officers under the Central Government or the State Government or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Semi-Government or autonomous organisations:  (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing following qualifications and experience: Essential:  (i) Master's Degree in Statistics or Mathematics or Operations Research or Physics or Economics or Commerce (with Statistics) from a recognised university or institute;  Or  Doctorate in any of the subjects mentioned in (i) above;  Or  Degree in Engineering or Computer Science from a recognised University or equivalent.	(1.) Secretary General, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Joint Secretary National Human Rights Commission – Member; (3.) Joint Registrar, National Human Rights Commission – Member. Note:- The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Senior System Analyst in National Human Rights Commission.	Not applicable.

	(ii) Seven year experience of data processing out of which three years' eshould be in a programming electronic conductor.	relectronic ng work at least experience actual on the	
	(i) Formal tra computer pro or system des analysis; (ii) Master's of Engineering of	gramming ign or degree in or	
	Note 1: The deputation short-term including the deputation short-term canother <i>ex-canother ex-canother ex-canothe</i>	period of (including contract) period of (including period of (including period in padre post period post period in padre post period of period in padre post period of peri	
	Note 2: The rage-limit for appointment deputation (ir short-term coshall be 'not of fifty-six years closing date of application	oy acluding antract) exceeding s' as on the of receipt	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. Information and Public Relations Officer.	,	Not applicable.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract):  Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory	1. Member, National Human Rights Commission – Chairman;	Not applicable.

organisation, Public	2. Secretary
Sector Undertakings,	General,
Universities or	NI C 1
recognised Research	National
Institutions:	Human Rights
	Commission –
(a) holding analogous	Member;
post on a regular basis	
in the parent cadre or	
department; and	3. Joint
(1)1 : D 1 1 ;	Secretary,
(b)having Bachelors'	National
degree from a	Human Rights
recognised University	Commission –
or Institution with a	Member.
Post-Graduation or	
Diploma in Public	
Relations or Journalism	Note: -
or Mass	INOIG
Communication and	The Members
having experience of at	of the above
least three years in	Committee
supervisory capacity in	will act as
public relations or	Members of
publicity, printing and	the Screening
publishing.	Committee or
puonsining.	Selection
Note 1: The period of	Committee as
deputation (including	
short-term contract)	the case may
including the period of	be to select
deputation (including	candidate for
short-term contract) in	the post of
another <i>ex-cadre</i> post	Information
held immediately	and Public
preceding this	Relation
appointment in the	Officer in
same or some other	National
	Human Rights
organisation or	Commission.
department shall	
ordinarily not exceed	
four years.	
Note 2: The maximum	
age-limit for	
appointment on	
short-term contract)	
shall not be exceeding	
fifty-six years on the	
closing date of receipt	
of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. System	1* (2020)	Not	Level-10 (Rs.56100-	Selection.	Not
Analyst.	* Subject to variation	applicable.	177500).		
	depending on work load.				applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotee.	Deputation (including short-term contract)/ promotion.	Promotion:- Programmer in National Human Rights Commission in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with three years' of regular service in the grade.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation (including Short-term contract): Officers under the Central Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions; (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department.  Or  (ii) with three years' service rendered after appointment to the post	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Secretary General, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member; (3.) Director, National Human Rights Commission – Member.  Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;  (3.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;  (3.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;	Not applicable.
				on a regular basis in		

level-7 (Rs.44900- 142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing following educational qualifications and experience: -
(i) Master's Degree in Computer Applications or M.Sc (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or Institute;
Or
Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute.
(ii) five years experience of electronic data processing work, out of which at least three year experience should be in actual programming on an electronic computer.
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of

		shor anot held prec appo same orga depa ordi four Note age-appo depu shor	tatation (including t-term contract) in her ex-cadre post immediately eding this pintment in the e or some other nisation or artment shall marily not exceed years.  2 3: The maximum limit for pintment by attation (including t-term contract) the 'not exceeding to the contract of the con		
		shall fifty the	be 'not exceeding's six years' as on closing date of		
(1)	(2)	rece	ipt of application.	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. Assistant Information Officer.	1* (2020)  * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-10 (Rs.56100- 177500).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract):  Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:  (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;  Or  (ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;	(1.) Secretary General, National Human Rights Commission— Chairman; (2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission — Member; (3.) Director, National Human Rights Commission — Member. Note: - The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as	Not applicable.

	and  (b) holding a degree or Post Graduate Diploma in Journalism from a recognised university or institution and having experience of at least three years in supervisory capacity in public relations or publicity, printing and publishing.	the case may be to select candidate for the post of Assistant Information Officer in National Human Rights Commission.
	Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.  Note 2:The maximum	
	Note 2:The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' on the closing date of receipt of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Research	2* (2020)	Not	Level-10	Selection	Age not exceeding 35 years.
Officer	* Subject to	applicable	(Rs.56100-177500)		
	variation				(Relaxable for Government
	depending or	1			servants up to 5 years in
	work load				accordance with the
					instructions or orders issued
					by the Central Government)
					Note: The crucial date for
					determining the age-limit
					shall be closing date for
					receipt of applications from
					candidates and not the
					closing date prescribed for
					those in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura, Sikkim,
					Union territory of Ladakh,
					Union territory of Jammu

	and Kashmir, Lahaul and
	Spiti district and Pangi Sub-
	Division of Himachal
	Pradesh, Union territory of
	Andaman and Nicobar
	Islands and Union territory
	of Lakshadweep.

							Andaman an Islands and Ur of Lakshadweep	nion territory
(7)	(8)	(9)		(10)	(1	11)	(12)	(13)
(7) Essential:- Master's Degree in Social Science from a recognised University. Desirable:- (i) Degree in Law from a recognised university;  (ii) three years' research experience in any of the social science.	Not applicable	Two years for direct recruits and promotees	promo which recruit (ii) 50 direct failing deputa (include	percent by otion failing by direct tment; percent by recruitment which by	Promotion Senior Assistan National Rights Commiss three regular regula	Research to in the Human sision with years' service in 00- in the rix. There who have ed their ng or cry service great for con, their would also dered at they are to of the eng or cry service than half qualifying ility or two hichever nd have fully ed their n period notion to higher ong with iors who eady ed such	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Secretary General, National Human Rights Commission - Chairman;  (2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission - Member;  (3.) Joint Director (R), National Human Rights Commission - Member:  Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission - Committee (for considering confirmation) Committee (for considering	Not applicable.
					eligibilit Deputati	ey service. ion ng Short- ntract):-	(2.) Joint Director (R), National Human Rights Commission -	

	Central	Member;	
	Government, the	Í	
	State		
	Government,	(3.) Senior	
	Union territories,	Research	
	autonomous or	Officer,	
	statutory	National	
	organisations,	Human Rights	
	Public Sector	Commission-	
	Undertakings,	Member.	
	Universities or		
	recognised		
	Research		
	Institution:		
	(a) holding		
	analogous posts		
	on regular basis in		
	the parent cadre or		
	department;		
	ueparmient,		
	(b) possessing the		
	qualifications and		
	experience		
	prescribed for		
	direct recruitment		
	under Column (7).		
	Note 1: The		
	departmental		
	officers in the		
	feeder category		
	who are in the		
	direct line of		
	promotion shall		
	not be eligible for		
	consideration for		
	appointment on		
	deputation.		
	Similarly, the		
	deputationist shall		
	not be eligible for		
	consideration for		
	appointment by		
	promotion.		
	_		
	Note 2: The		
	period of		
	deputation		
	(including short-		
	term contract)		
	including the		
	period of		
	deputation		
	(including short-		
	term contract) in		
	another <i>ex-cadre</i>		
	post held		
	immediately		
	preceding this		
	appointment in		
	the same or some		
	are burne or some		

			other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.  Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. Librarian/ Documentation Officer	1* (2020)  * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-10 (Rs.56100- 177500)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short-term contract).	Deputation (including Short-term contract):- Officers under the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:  (a)(i) holding analogous post in Library service on a regular basis in the parent cadre or department;  OR  (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;  and  (b)possessing the educational qualifications	(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission – Member;  (3.) Joint Director (R), National Human Rights Commission – Member.  Note: - The Members of the above Committee will act as Members of the Screening	Not applicable.
				and experience as	Committee or	

		11 1	
		mentioned below: -	Selection
		Essential:	Committee as
		(i) D1-12- D i	the case may be
		(i) Bachelor's Degree in	to select
		Library Science from a	candidate for
		recognised University;	the post of
		(ii) two years'	Librarian/
		professional experience in	Documentation Officer in
		a Library including	National
		Documentation and	Human Rights
		Bibliographical work;	Commission.
		0	Commission.
		Or	
		Post Graduate Degree in	
		Library Science from a	
		recognised University.	
		Note 1: The period of	
		deputation (including	
		short-term contract)	
		including the period of	
		deputation (including	
		short-term contract) in	
		another <i>ex-cadre</i> post	
		held immediately	
		preceding this	
		appointment in the same	
		or some other	
		organisation or	
		department shall	
		ordinarily not exceed	
		three years.	
		•	
		Note 2: The maximum	
		age limit for appointment	
		on deputation (including	
		short term contract) shall	
		not be exceeding fifty-six	
		years on the closing date	
		of receipt of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23. Assistant Director (Hindi)	1* (2020)  * Subject to variation depending on work load	Not applicable.	Level-10 (Rs.56100-177500)	Selection.	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	One year for promotee.	Deputation (including short term contract)/ promotion.	By Promotion: - Senior Translators in National Human Rights Commission with three years' regular service in level-7 (Rs.44900- 142400) in the pay matrix.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Secretary General,	Not applicable.

	NI A WII	NT 4' 1
	Note: Where juniors who	National
	have completed their	Human Rights
	qualifying or eligibility	Commission—
	service are being	Chairman;
	considered for promotion,	
	their seniors would also	(2)
	be considered provided	(2.) Joint
	they are not short of the	Secretary,
	requisite qualifying or	National
	eligibility service by more	Human Rights
	than half of such	Commission –
	qualifying or eligibility	Member;
	service or two years,	
	whichever is less, and	
	have successfully	(3.) Director,
	completed their probation	National
	period for promotion to	Human Rights
	the next higher grade	Commission –
	along with their juniors	Member.
	who have already	
	completed such qualifying	
	or eligibility service.	Departmental
		Confirmation
		Committee
	By deputation (including	(for
	short-term contract): -	considering
	Officers of the Central	confirmation)
	Government, the State	consisting of:-
	Government, Union	(1.) Joint
	territories, autonomous or	Secretary,
	statutory organisation,	National
	Public Sector	Human Rights
	Undertaking, University	Commission –
	or recognized Research	Chairman;
	Institutions:	,
	(a)(i) holding analogous	(2.) Director,
	post on a regular basis in	National
	the parent cadre or	Human Rights
	department; or	Commission –
	(ii) with three years'	Member;
	service in the grade	·
	rendered after	
	appointment thereto on a	(3.) Deputy
	regular basis in posts in	Secretary,
	level-7 (Rs.44900-	National
	142400) in the pay	Human Rights
	matrix; and	Commission—
		Member.
	(b) possessing following	
	qualifications and	
	experience:	
	Essential	
	(i) Master's degree from a	
	recognised University in	
	Hindi with English as a	
	compulsory or elective	
	subject or as the medium	
	of examination at the	
I	at the	11

degree level;

Or

Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Or

Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

Or

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

Or

Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;

(ii) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or the State Governments or autonomous body or

·	 	
	Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.	
	Or	
	three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or the State Governments or autonomous body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.	
	Desirable:	
	Studied one of the languages other than Hindi included in the EIGHTH SCHEDULE of the Constitution at 10 <sup>th</sup> level from a recognised Board.	
	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
	Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.	

	Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24. Programmer	1* (2020)	Not	Level-7 (Rs.44900-	Selection.	Not
	* Subject to variation	applicable	142400)		applicable
	depending on work load				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion:- Programmer Assistant in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-6 (Rs.35400- 112400) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation (including short-term contract):- 'Officers under the Central Government or the State Government or Universities or Government Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organisations: -	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Joint Registrar, National Human Rights Commission – Member; (3.) Senior System Analyst, National Human Rights Commission – Member.	Not applicable.

		(a)holding analogous posts on regular basis; and	
		(b) possessing following educational qualifications and experience: -	
		Essential:	
		(i) Master's Degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) or Operation Research or Physics or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) from a recognised university;	
		Or	
		Bachelors' Degree in Engineering or Computer Science from a recognised University.	
		(ii) three years experience of electronic data processing work, out of which at least one year experience should be in actual programing on an electronic computer.	
		Or	
		Master's Degree in Engineering or Doctorate degree in any of the subjects mentioned in (i) above.	
		Desirable:	
		(i) formal training in Computer Programming or System design or analysis;	
		(ii) knowledge of one or more programming languages.	
		Note 1: The departmental officers shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
		Note 2: The period of deputation (including short-term contract)	

		deputation short-term another held preceding appointme or so organisati departmen ordinarily three year. Note 3: age-limit by deput short-term be 'not ex years' as	ent in the same some other on or at shall not exceed es.  The maximum for appointment ation (including a contract) shall exceeding fifty-six on the closing a receipt of		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25. Senior Translator (Hindi).	1* (2020)  * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion:  Junior Translators in National Human Rights Commission with five years' regular service in level-6 (Rs.35400- 112400) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission — Member;  (3.) Under Secretary, National Human Rights Commission — Member;	Not applicable.

completed such qualifying or eligibility service.	
Deputation (including Short-term contract):	
Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:	
(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; OR	
(ii) with five years' service rendered after appointment to the post of Junior Translator on a regular basis in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix;	
And	
(b) possessing following qualifications and experience: -	
Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;	
Or	
Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;	
Or	
Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;	

Or

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

Or

Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;

And

recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or the State Government office, including Government of India Undertaking.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately

		preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.  Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.	
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26. Senior Research	1* (2020)	Not	Level-7 (Rs.44900-	Selection.	Not
Assistant.	* Subject to variation	applicable.	142400).		applicable.
	depending on work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(9) Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion  Research Assistant in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation (including short-term contract):-	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:  (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission- Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission - Member; (3.) Joint Director (R), National Human Rights Commission - Member;  (3.) Joint Director (R), National Human Rights Commission - Member.	Not applicable.
				Officers of the Central Government, the State		

T T	
	Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institution:
	(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;
	(b) possessing the following qualifications and experience:
	Essential:
	(i) Master's Degree in Social science from recognised University;
	(ii) two years' research experience in any of the social science.
	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
	Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.
	Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six

			s on the closing of receipt of on.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. Assistant Accounts	3* (2020)	Not	Level-7 (Rs.44900-	Selection.	Not
Officer.	* Subject to variation	applicable.	142400).		applicable.
	depending on work load.				

	-	depending on wo	ork load.			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 67 percent by promotion failing which by deputation; (ii) 33 percent by deputation (including short-term contract).	Promotion:- Accountant in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-6 (Rs.35400- 112400) in the pay matrix.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation (including short term contract):-  Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:  (a)(i) holding analogous posts on regular basis in	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission— Member;  (3.) Under Secretary, National Human Rights Commission— Member.	Not applicable.

the parent cadre or department;
or
(ii) with five years'
service in the grade
rendered after
appointment thereto on
regular basis in level-6
(Rs.35400-112400) in
the pay matrix in the
parent cadre or
department; and
(b) possessing any one
of the following
qualifications: -
(i) pass in the Subordinate Audit/
Accounts Service
examination conducted
by any one of the
organised Accounts
Departments of the
Central Government;
(ii) successful
completion of training
in the Cash and
Accounts work in
Institute of Secretariat
Training and
Management training
course and a minimum
of three years'
experience in Cash,
Accounts and Budget
Work.
Note 1: The
departmental officers in
the feeder category who
are in the direct line of
promotion shall not be
eligible for
consideration for
appointment on
deputation. Similarly,
the deputationists shall
not be eligible for
consideration for
appointment by
promotion.
Note 2: The period of
deputation (including
short-term contract)
including the period of
deputation (including
short-term contract) in
another ex-cadre post
 •

	held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.  Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the last date of receipt of applications.
--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. Deputy Documentation Officer.	1* (2020)  * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-6 (Rs.35400- 112400).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotee.	Deputation/ promotion.	Promotion: Assistant Librarian in National Human Rights Commission in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with ten years' of regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:	Not applicable.
				Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such	(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission – Member;  (3.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member.	

qualifying or eligibility service. Departmental Deputation: Confirmation Committee Officers under the (for Central Government or considering the State Government confirmation) or Union territoriesconsisting of:-(a) (i) holding (1.) Director, analogous posts on a National regular basis; or **Human Rights** (ii) with ten years Commission regular service in posts Chairman; in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix: and (2.) Under Secretary, (b) possessing the National following educational **Human Rights** qualifications and Commission experience; Member; Essential: (3.) Librarian/ (i) Bachelors Degree in Documentation Library Science Officer. Library and Information National Science of a recognised **Human Rights** University or Institute; Commission-Member. (ii) two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Government or autonomous Statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or recognised Research or Educational Institution. **Desirable** (i) Master's Degree in Library Science Library and Information Science of a recognised University or Institute; Diploma Computer Applications from a recognised University or Institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be

eligible for
consideration for
appointment on
deputation. Similarly,
deputationist shall not
be eligible for
consideration for
appointment by
promotion.
Note 2: The period of
deputation including
the period of deputation
in another <i>ex-cadre</i> post
held immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
organisations or
department of the
Central Government
shall ordinarily not
exceed three years.
Note 3: The maximum
age-limit for
appointment by
deputation shall be 'not
exceeding fifty-six
years' as on the closing
date of receipt of
applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29. Junior Translator (Hindi).	2* (2020)  * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-6 (Rs.35400- 112400).	Not applicable.	Not exceeding 30 years.  (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)  Note:  The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-

138		THE G	AZETTE OF I	INDI	A : EXTRAOR	RDINARY	[PART	II—SEC. 3(i)]
							division of Pradesh, Unic Andaman a Islands or Un of Lakshadwe	on territory of nd Nicobar nion territory
(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	)	(12)	(13)
Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;  Or  Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;  Or  Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;  Or  Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Direct Recruitment failing which deputation (including short-term contract).		Deputation (is short-term coordinates of the Government, Government, territories author statutory organisations Sector Under Universities or recognised R Institutions:  (a) holding an post on a reggin the parent department; a (b) possessing qualifications experience proposed for direct recognised R Institutions:  (b) possessing qualifications experience proposed for direct recognised R Institutions:  (c) holding an post on a reggin the parent department; a condition of the proposed for direct recognised R Institutions:  (d) possessing qualifications experience proposed for direct recognised R Institutions experience proposed for direct recognised R Institutions experience proposed for direct recognised R Institutions:  (a) holding an post on a reggin the parent department; a condition of the parent department department department department department department department departmen	ncluding ontract):  ne Central the State Union tonomous  s, Public takings, or esearch  nalogous ular basis cadre or and  g s and rescribed ruitment in (7).  period of (including contract) in period of (including ontract) in adre post imediately this in the me other or shall ot exceed  maximum for by	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission – Member;  (3.) Assistant Director (Hindi), National Human Rights Commission – Member.	Not applicable.
subject other					appointment	by (including contract) exceeding rs' as on		

the closing date of receipt of application.

medium and English as a

compulsory or elective subject or as the medium

of

examination at the degree level;			
Or			
Master's degree from a recognised University in any			
subject other than Hindi or English,			
with English medium and Hindi as a compulsory			
or elective subject or as the medium of a			
examination at the degree level;			
Or			
Master's Degree from a recognised			
University in any subject other			
than Hindi or English, with Hindi and English			
as compulsory or elective			
subjects or either of the two as a			
medium of examination and the			
other as a compulsory or elective subject at			
degree level;			
and			
Diploma or Certificate course in			
translation from Hindi to English			
and vice versa from a			

	1			ı
recognised				
university or				
institute or				
two years'				
experience				
of				
translation				
work from				
Hindi to				
English and				
vice versa in				
Central or				
State				
Government				
office,				
including				
Government				
of India				
Undertaking				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30. Research	3* (2020)	Not	Level-6 (Rs.35400-	Not	Not exceeding 30 years.
Assistant	* Subject to	applicable	112400)	applicable	
	variation				(Relaxable for Government
	depending on				servants up to five years in
	work load				accordance with the
					instructions or orders issued
					by the Central Government
					from time to time.)
					Note: The crucial date for
					determining the age-limit
					shall be closing date for
					receipt of applications from
					candidates and not the
					closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura, Sikkim,
					Union territory of Ladakh,
					Union territory of Jammu
					and Kashmir, Lahaul and
					Spiti district and Pangi Sub-
					Division of Himachal
					Pradesh, Union territory of
					Andaman and Nicobar
					Islands or Union territory of
					Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential: Bachelor Degree from a recognised university.	Not applicable	Two years for direct recruits	Direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract)	Deputation (including short-term contract):- Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1.) Joint Secretary,	Not applicable.

Desirable:	Contan I Indontal:	National Hymne	
Desirable:	Sector Undertakings, Universities or	National Human	
(1.)		Rights	
Minimum	recognised Research	Commission –	
one-year	Institution:	Chairman;	
research	(a) (i) holding analogous	(2.) Director,	
experience	posts on regular basis in	National Human	
in any	the parent cadre or	Rights	
recognised	department;	Commission –	
University		Member;	
or	Or	1,151116 51,	
recognised	(ii) with six years'		
	service rendered after	(3.) Joint	
Research	appointment to the post	Director (R),	
Institution;	on a regular basis in	National Human	
(2.) Degree	level-5 (Rs.29200-	Rights	
in Law or	92300) in the pay matrix	Commission –	
Human	or equivalent or with ten	Member.	
Rights	years' service rendered	TVICIIIUCI.	
from a	after appointment to the		
recognised	post on a regular basis in		
university.	level-4 (Rs.25500-		
university.	81100) in the pay matrix		
	in the parent cadre or		
	department;		
	and		
	(b) possessing the		
	educational		
	qualifications or		
	experience prescribed for		
	direct recruitment under		
	column (7).		
	Note 1: The period of		
	deputation (including		
	short-term contract)		
	including the period of		
	deputation (including		
	short-term contract) in		
	another ex-cadre post		
	held immediately		
	preceding this		
	appointment in the same or some other		
	organisation or department shall		
	ordinarily not exceed		
	three years.		
	Note 2: The maximum		
	age-limit for		
	appointment by		
	deputation (including		
	short-term contract) shall		
	be 'not exceeding fifty-		
	six years' as on the		
	closing date of receipt of		
	application.		
	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31. Programmer	2* (2020)	Not	Level-6 (Rs.35400-	Not	Not
Assistant	* Subject to variation	applicable	112400)	applicable	applicable
	depending on work load				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short-term contract)/ absorption	Deputation (Including short-term contract)/ absorption:-  Officers under the Central Government or State Governments or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Semi-Government or autonomous organisations: -  (a)holding analogous post on a regular basis;  (b) possessing following educational qualifications and experience:  Essential: -  (i) Masters' Degree in Statistics or Mathematics or Operations Research or Physics or Economics or Commerce (with Statistics) or Degree in Engineering or Computer Science from a recognised University;  (ii) two years' experience of an electronic data processing work including one year's experience of computer programming or operation;  Or  two years' experience of data processing work including one year's experience of unit record system (Tabulor or accounting machines, collator etc);	(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Joint Registrar, National Human Rights Commission — Member;  (3.) Senior System Analyst, National Human Rights Commission — Member.  Note: - The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Programmer Assistant in National Human Rights Commission.	Not applicable.

		Or	
		(i) Degree from a recognised university with Statistics as a subject;	
		(ii) five years' experience as mentioned in (ii) above.	
		Desirable: -	
		(i) formal training in computer programming operation;	
		(ii) knowledge of one or more of the programming languages;	
		(iii) experience of operating mechanical tabulation equipment and of planning and supervising work on such equipment.	
		Note 1: The Central or State Government officers shall only be considered for absorption.	
		Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.	
		Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32. Accountant	3*(2020)	Not	- (	Selection	Not
	* Subject to variation	applicable	112400)		applicable
	depending on work load				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	(9) Two years	(i) 67 percent by promotion failing which by deputation;  (ii) 33 percent by deputation (including short-term contract).	Promotion:- Junior Accountant in the National Human Rights Commission with ten years' regular service in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix having undergone the Cash and Accounts Course from Institute of Secretariat Training and Management.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation (including	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:  (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission - Member;  (3.) Senior Accounts Officer, National Human Rights Commission— Member.  Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1.) Director, National	Not applicable.
				service.  Deputation (including short-term contract)  Officers of the Central Government, the State	consisting of: (1.) Director,	
				Governments, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:	(2.) Senior Accounts Officer, National Human Rights	
				(a)(i) holding analogous posts on regular basis in	Commission — Member;	

	the parent cadre or department;	
	Or	(3.) Assistant Accounts
	(ii) With ten years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix; and	Officer, National Human Rights Commission – Member.
	(b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management and possess three years' experience of cash, accounts and budget work.	
	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
	Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.	
	Note 3: The maximum age-limit for appointment by	

		short-term shall be 'n fifty-six y	not exceeding ears' as on the te of receipt		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. Staff Car Driver (Special Grade)	1* (2020)  * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-6 (Rs.35400- 112400)	Non- selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion	Promotion:  Staff Car Driver Grade-I in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with three years of regular service in the grade.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1.) Director, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Under Secretary, National Human Rights Commission — Member;  (3.) Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission — Member.  Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission — Chairman; (2.) Director, National	Not applicable

		Human Dighta
		Human Rights
		Commission –
		Member;
		(3) Under
		(3.) Under Secretary,
		National
		Human Rights
		Commission-
		Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. Staff Car Driver	4* (2020)	Not	Level-5 (Rs.29200-	Non-	Not
Grade-I	* Subject to variation	applicable	92300)	selection	
	depending on work load				applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion	Promotion:  Staff Car Driver Grade-II in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;  (2.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;  (3.) Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35. Staff Car Driver	3* (2020)	Not	Level-4 (Rs.25500-	Non-	Not
Grade-II	* Subject to variation	applicable	81100)	selection	
	depending on work load				applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable.	Not applicable	Promotion.	Promotion:  Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with eight years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;  (2.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;  (3.) Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.Staff Car Driver (ordinary grade)	4* (2020)  * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-2 (Rs.19900-63200)	Not applicable	Between 18 and 27 years*  (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note:The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for

		those in Assam, Meghalaya,
		Arunachal Pradesh,
		Mizoram, Manipur,
		Nagaland, Tripura, Sikkim,
		Union territory of Ladakh,
		Union territory of Jammu
		and Kashmir, Lahaul and
		Spiti District and Pangi Sub-
		Division of Chamba district
		of Himachal Pradesh, Union
		territory of Andaman and
		Nicobar Islands or Union
		territory of Lakshadweep)
		* The recruitment is to be
		made by direct open
		competitive Examination.
		competitive Examination.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:  (i) possession of a valid driving license for motor cars;	Not applicable	Two years for direct recruits	Direct Recruitment	Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -	Not applicable.
(ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);					(1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;  (2.) Under	
(iii) experience of driving a motor car for at least three years; and					Secretary, National Human Rights Commission – Member;	
(iv) pass in 10 <sup>th</sup> standard.					(3.) Deputy	
Desirable:					Superintendent of Police, National	
three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.					Human Rights Commission – Member.	
Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.						
Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of opinion that the						

sufficient number of			
candidates with requisite experience is			
not likely to be			
available to fill up the vacancy reserved for			
them.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37. Junior Accountant	3* (2020)  * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-4 (Rs.25500- 81100)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (The upper agelimit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)
					Note:  The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential: - B.Com with knowledge in computer applications.	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment through all India open competition failing which by	Deputation (including short-term contract):- Officers of the Central Government, the State Government, Union territories,	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Not applicable.
Desirable: - Experience in			deputation (including short-term	autonomous or statutory	(1.) Joint Secretary,	

dealing with accounts and cash matters.	contract).	organisation, Public Sector Undertakings, universities or recognised Research Institutions:	National Human Rights Commission – Chairman;
		(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;	(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;
		(ii) failing which Upper Division Clerk in Central Secretariat Clerical Service with Cash and Accounts training conducted by the Institute of Secretariat Training and Management; and	(3.) Senior Accounts Officer, National Human Rights Commission – Member.
		(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under Column (7).	
		Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.	
		Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38. Upper Division Clerk.	11* (2020) * Subject to variation	Not applicable.	Level-4 (Rs.25500- 81100).	Non- selection.	Not
	depending on work load.				applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 70 percent by promotion failing which by deputation; (ii) 30 percent by deputation.	By promotion:- Promotion of Lower Division Clerk of National Human Rights Commission who have completed eight years' regular service in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission - Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission - Member;  (3.) Asstt Registrar (Law), National Human Rights Commission - Member;	Not applicable.
				By deputation: -  (i) Officers of the Central Government holding analogous post on regular basis; or  (ii) with eight years' regular service in the grade of Lower Division Clerk [level-		

2 (Rs.19900-63200)
in the pay matrix] or
equivalent.
Note 1: The
departmental officers
in the feeder category
who are in the direct
line of promotion
shall not be eligible
for consideration for
appointment on
deputation. Similarly, the deputationists
shall not be eligible
for consideration for
appointment by
promotion.
Note 2: The period of
deputation including
the period of
deputation in another
ex-cadre post held
immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
department shall
ordinarily not exceed three years.
Note 3: The
maximum age-limit
for appointment by
deputation shall be 'not exceeding fifty-
six years' as on the
closing date of
receipt of application.
1 "FF

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39. Assistant Librarian.	1* (2020)  * Subject to variation depending on work load.		Level-4 (Rs.25500- 81100).	Not applicable.	Not exceeding 30 years.  (Relaxable for Government servant up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,

		Union territory of Ladakh,
		Union territory of Jammu and
		Kashmir, Lahaul and Spiti
		District and Pangi Sub
		Division of Chamba District
		of Himachal Pradesh, Union
		territory of Andaman and
		Nicobar Islands or Union
		territory of Lakshadweep.

						territory of Laks	hadweep.
		·	•				
(7)	(8)	(9)	(10)	(	(11)	(12)	(13)
Essential:  (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University or Institute;  (ii) Two years' professional experience in a Library under the Central Government or the State Government or autonomous or statutory organization or Public Sector Undertakings or University or recognised Research or Educational Institution.  Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised university or Institute.	for	ars	Direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract).	the State C Union T Public Undertakin autonomou organisatio (a) holdin posts on a r (b) pos educationa qualificatio experience direct re Column (7) Note 1: T deputation short-term including deputation short-term another e held preceding appointmen or so organisatio department Central shall ore exceed three Note 2: Th age-limit fo appointment deputation short-term	under the overnment or Government or Government or Government or Government or Government or Sector ags or as and an analogous regular basis; sessing the lons and prescribed for cruits under lons. The period of (including contract) the period of (including contract) in ex-cadre post immediately this and in the same me other and the government dinarily not be years.  The maximum or the government dinarily not be government	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission - Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission - Member; (3.) Joint Director, National Human Rights Commission - Member;	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. Stenographer Grade-D.	22* (2020)  * Subject to variation depending on work	Not applicable.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age.  (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with instructions
	load.				or orders issued by the Central Government.)
					Note:
					The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Subdivision of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:  (i) 12 <sup>th</sup> Class pass or equivalent from a recognised Board or University.  (ii) Skill test norms:- Dictation: 10 Minutes @ 80 words per minute.  Transcription (only on computer): 50 Minutes (English)  65 Minutes (Hindi).  Note: Preference will be given to those who know	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract):-  Officers of the Central Government, the State Governments, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;  Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1.) Director, National Human Rights Commission— Chairman;  (2.) Under Secretary, National Human Rights Commission— Member; (3.) Assistant Registrar (Law), National Human Rights Commission—	Not applicable.

both English and Hindi stenography.  Desirable: Diploma in Computer from a recognised university or institute.		same organ depar ordin three  Note age-li appoi deput short- shall fifty-: closir	ntment in the or some other isation or trent shall arily not exceed years.  2: The maximum mit for ntment by ation (including term contract) be 'not exceeding six years' as on the ng date of receipt polication.	Member.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41. Constable.	12* (2020)	Not	Level-3 (Rs.21700-	Not	Not

applicable.

\* Subject to variation depending on work load.

69100).

applicable.

applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation.	By deputation: From amongst personnel of the Central Armed Police Forces or State Police Organisations: -	(1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;	Not applicable
				Holding analogous post in any Central Armed Police Forces or Constable from State Police organisations with five years' regular service.	(2.) Senior Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member;	
				Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other	(3.) Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.  Note: -	
				organisation or department shall ordinarily not exceed three years.	The Members of the above Committee will act as Members of the Screening	
			Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not	Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate		

Commission.
-------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. Lower Division Clerk.	20* (2020)  * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-2 (Rs.19900 - 63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age.  (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Subdivision of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:-  (i) 12 <sup>th</sup> Class qualification from a recognised Board or Universities;  (ii) typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minutes in Hindi on computer.	Yes, to the extent indicated in column (10).	Two years.	(ii) 85 percent by direct recruitment; Note: Selection will be on the basis of written examination and typing test on computer.  (iii) 15 percent by promotion.	Promotion: Multi- Tasking Staff in level-1 (Rs.18000- 56900) in the pay matrix of National Human Rights Commission with three years' regular service and who are in possession of qualification prescribed for direct recruitment; Note: Basis of the promotion shall be seniority cum fitness basis.	Departmental Promotion  Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission- Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission – Member;	Not applicable.

		(3.) Under Secretary,
		National
		Human Rights
		Commission –
		Member.
		Departmental
		Confirmation
		Committee (for
		considering
		confirmation)
		consisting of:-
		(1.) Joint
		Secretary,
		National
		Human Rights
		Commission-
		Chairman;
		(2.) Director,
		National
		Human Rights
		Commission –
		Member;
		(3.)Deputy
		Secretary,
		National
		Human Rights
		Commission –
		Member.
<u></u>	 1	L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43. Despatch Rider.	2* (2020)  * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-2 (Rs.19900- 63200).	Not applicable.	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).  For ex- servicemen: Deputation/ re- employment.	Deputation (including short- term contract): Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector, Undertakings, University or recognised Research Institution:	(1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;  (2.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;  (3.) Deputy Superintendent of Police,	Not applicable.

(a)(i) holding National Human analogous post on a Rights Commission regular basis in the parent cadre or Member. department; Or Note: -(ii) with three years' The Members of service rendered the above after appointment to Committee will the post on a regular act as Members basis in level-1 of the Screening (Rs.18000-56900) in Committee or the pay matrix or Selection equivalent in the Committee as the parent cadre or case may be to department; and select candidate (b) (i) possession of for the post of a valid driving Despatch Rider license for Motor in National Cycle or Auto **Human Rights** Commission. rickshaw; (ii) two years' experience in driving Motorcycle or Auto rickshaw; (iii) knowledge of Motor Cycle or Auto rickshaw mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle). Note 1: The period of deputation (including shortterm contract) including the period deputation of short-(including term contract) another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation department shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-

term contra exceeding t years on the date of rece application	fifty-six e closing eipt of
For ex-serv	ricemen:
Deputation employmen	
period of and having requisite end quality prescribed be considered persons with the period of and having requisite end and quality prescribed be considered by the period of and having requirements and quality requirements and period of and having requirements and quality requirements and quality requirements and period of and having requirements and quality require	due to ho are to erred to within a one year ing the xperience lifications shall also red. Such yould be deputation to the date they are ease from d Forces; they may
employmer	
Note: The deputation another post immediatel preceding appointmer same or so organisation Department Central Go	in ex-cadre held y this nt in the ome other n or t of the overnment
shall ordin exceed thre	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44. Multi- Tasking Staff.	78* (2020)  * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-1 (Rs.18000 -56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age.  (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note:  The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date
					prescribed for those in Assam,

		Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti
		District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman & Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pass in 10 <sup>th</sup> Class or equivalent from a recognised Board or University.	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -  (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission  - Chairman;  (2.) Director, National Human Rights Commission  - Member;  (3.) Assistant Registrar (Law), National Human Rights Commission —Member.	Not applicable.

[F. No.15011/124/2018-HR.III] ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.